GOVERNMENT BILL

The Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Second Amendment) Bill, 2022

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Hon. Minister Shri Arjun Munda to move a motion. ...(Interruptions)...

PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Sir, do we have the quorum?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Yes, we have. Now, the Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Second Amendment) Bill, 2022. Hon. Minister, Shri Arjun Munda to move a motion for consideration of the Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Second Amendment) Bill, 2022.

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

The question was proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Motion moved. Do you want to say anything?

SHRI ARJUN MUNDA: I will speak later.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Any Member desiring to speak may do so. First, hon. Member, Pramod Tiwariji.

श्री प्रमोद तिवारी (राजस्थान): सर, यह बिल लोक सभा में 28 मार्च को पेश हुआ था और एक अप्रैल को इसे पास किया गया था। यह कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी, जिसने देश में संविधान लागू किया तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया, इसलिए यह श्रेय कांग्रेस पार्टी की सरकार को जाता है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि उस समय हमने यह भी

व्यवस्था की थी कि आर्टिकल्स 341 और 342 के तहत हम इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं और उसी के तहत सरकार इसे लाई है। मैं इसमें दो-तीन चीजें जोड़ना चाहता हूँ। चूँकि हम आरक्षण लाए हैं, इसलिए हम तो कमिटेड हैं और हम तो इसके साथ खड़े हैं, पर मेरे दिमाग में एक बात नहीं आती। वाइस-चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से इसका सीधा जवाब चाहूँगा कि सरकार ने तो आपसे कहा था कि आप गोंड के साथ धूरिया, नायक, ओझा, पथारी, राजगोंड समुदायों को भी अनुसूचित जनजाति में शामिल करें, तो आपने सिर्फ गोंड को क्यों शामिल किया और उनको क्यों छोड़ दिया? यह मेरी जिज्ञासा है। दूसरा, मैं देख रहा हूँ कि दूर-सुदूर अंचल से पाल, धनगर आदि बहुत से कुर्मी समाज के लोग आए हैं, जो दिल्ली में धरना दे रहे हैं। आप उनको इसमें क्यों नहीं शामिल करते हैं और उनकी माँगों को क्यों नहीं मानते हैं? आपकी नीति और नीयत मुझे कुछ दुरुस्त नहीं लगती है, क्योंकि इनके लिए किसी बजट का प्रावधान आपने नहीं किया है। आपने सिर्फ सूची में उनको जोड़ दिया है। मेरा पहला सवाल है कि इसके साथ जो और जातियां आई थीं, आप उनको क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, यह बात मैं आपसे जानना चाहता हूं।

माननीय वाइस चेयरमैन साहब, एक सवाल आपके और पूरे हाउस के सदस्यों के मन में आ रहा होगा कि इसमें सिर्फ आप कुछ ज़िले ही जोड़ रहे हैं। आपने अभी कहा कि यह कुछ ज़िलों में ही लागू होगा। मैं आपसे इतना जानना चाहता हूं कि आप इसे पूरे उत्तर प्रदेश में लागू क्यों नहीं करते? क्या आप यह मान कर बैठ गए हैं कि शैड्यूल्ड ट्राइब्ज़ कभी इतनी तरक्की नहीं करेंगे कि वे दूसरे ज़िलों में जाकर बस जाएं? क्या वे दूसरी जगह जाकर व्यापार नहीं करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे? इसको पूरे उत्तर प्रदेश में लागू करने में आपको क्या दिक्कत है? इसके पीछे आपकी नीयत और मंशा क्या है, वह ज़रा आप मुझे स्पष्ट कर दीजिए।

मेरे दो सवाल हो गए हैं। एक, इसमें जो अन्य उपजातियां थीं, उन्हें आपने सूची में शामिल क्यों नहीं किया? इसे भी आप आधे-अधूरे मन से केवल कुछ ज़िलों में ही लागू कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में इसे लागू करने में आपको क्या दिक्कत है? केवल आप ही तो इसे नहीं लाए हैं! आपका ही एक प्रदेश है - झारखंड, जहां पर यह कांग्रेस के ज़माने से लागू है। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी के समय से शैड्यूल्ड ट्राइब्ज़ का कानून लागू है। इस तरह ऐसे तमाम राज्य हैं, जहां यह पहले से ही लागू है। आप कोई नई चीज़ तो नहीं करने जा रहे हैं। यह तो पहले भी होता रहा है, लेकिन आप इसको पूरे प्रदेश में लागू क्यों नहीं कर रहे हैं?

दूसरा सवाल जो मेरे मन में है और शायद आपके मन में भी होगा, लेकिन आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि आपको जो मिल गया है, उसको खोना नहीं चाहेंगे। आपकी सरकार जब भी बनती है, तो अनुसूचित जाति और जनजाति पर ज़ुल्म क्यों शुरू हो जाता है, उसकी संख्या क्यों बढ़ जाती है? यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह आंकड़े बोल रहे हैं, फिगर्स बोल रहे हैं। जब-जब आप सत्ता में आते हैं, तो ज़ुल्म सभी को सहना पड़ता है, चाहे वह किसान हो, मज़दूर हो अथवा नौजवान हो। लेकिन आपके राज्य में सबसे ज्यादा पीड़ित अगर कोई होता है, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग होते हैं। ऐसा क्यों है? आपकी मानसिकता ऐसी क्यों है? आप दिलत विरोधी और अनुसूचित जाति विरोधी क्यों हैं? मैं चाहूंगा कि आप इस बात को भी स्पष्ट करें।

वाइस चैयरमैन साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इनके ज़ुल्म का सबसे बड़ा कोई शिकार हुआ है, तो स्वयं माननीय मंत्री जी हुए हैं। मंत्री जी तो यह बात नहीं बोलेंगे, लेकिन आपकी तरफ से मैं बोल देता हूं, शायद आपका कुछ भला हो जाए। जब झारखंड में शैड्यूल्ड ट्राइब का चीफ मिनिस्टर बनने की बारी आई, तो आपका पत्ता साफ कर दिया गया, वहां कोई दूसरा चीफ मिनिस्टर लाया गया। यह बात मैं नहीं कहता, लेकिन अगर आज आप उस कुर्सी पर बैठे होते, तो कितने अच्छे लगते! लेकिन पार्टी ने आपको भी नहीं बख्शा। ...(व्यवधान)...

वाइस चेयरमैन साहब, मैं सीधे इनसे बात नहीं कर रहा हूं, आपके माध्यम से कर रहा हूं। ...(व्यवधान)... अगर आप इजाज़त दें, तो मैं इनके एक सवाल का जवाब दे दूं। ...(व्यवधान)... मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। ...(व्यवधान)... साहब, आप मुझे यह बता दीजिए कि एक ट्राइबल को हमने भी झारखंड में बनाया है, तो आपकी जितनी एजेंसीज़ हैं, जितने भी संसाधन हैं, आप उसके खिलाफ कार्यवाही करने पर आमादा हैं। यहां बैठ कर आप यह तय नहीं करेंगे, वाइस चेयरमैन साहब तय करेंगे। आप सब इसमें लग गए हैं, ताकि हिन्दुस्तान का इकलौता ट्राइबल चीफ मिनिस्टर चैन से न बैठ पाए। सब कृछ आप करवा रहे हैं। यह बात अगर मैं यहां नहीं कहूंगा, तो कहां कहूंगा? मैं यह तो जानता हूं कि आप मेरे भी विरोधी हैं। आप ब्राह्मण विरोधी हैं। जिन राज्यों में भी भाजपा की सरकार है, क्या उनमें कोई ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर है, यह बात आप बताइए। क्या उनमें कोई जाट चीफ मिनिस्टर है, बताइए। आपकी कैबिनेट तक में कोई मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। 'सबका साथ-सबका विकास' ऐसे ही हो रहा है। चलाइए, चलाइए, आप जितने दिन तक सरकार चला सकते हैं, लेकिन 2024 के बाद आप नहीं रहेंगे। अगर आप हमारी बात पुछें, तो हमारे जो एलओपी बैठे हैं, वे इसके जीते-जागते प्रमाण हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके जीते-जागते प्रमाण हैं, वे अनुसूचित जाति से हैं। आपने बहुत पहले एक चीफ मिनिस्टर बनाया था, लेकिन उस बेचारे को तो आपने गिनते हुए ही फंसवा दिया था। ...(व्यवधान)... उसको गिनते हुए फंसवा दिया था। ...(व्यवधान)... आपकी मानसिकता ही अनुसूचित-जाति विरोधी है। ...(व्यवधान)...

मंत्री जी, अब मैं झारखंड की बात कर लूं, वहां आपका जो मातृ संगठन है, जिसके बूते पर आप यहां बैठे हैं, वहां एक शिविर हुआ था और उस संगठन के अध्यक्ष ने, यदि मैं उनका नाम लूंगा तो बेकार में आप नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, उन्होंने कहा था - आरक्षण पर फिर से विचार होना चाहिए। आप तो आरक्षण विरोधी हो, जाट विरोधी, ब्राह्मण विरोधी हो, मुस्लिम विरोधी हो, सच पूछो तो आप शरीफ विरोधी हो। अब संविधान में हम कर गये हैं, तो आपका बूता नहीं है, आप करना भी चाहोगे, तो हम आरक्षण समाप्त नहीं करने देंगे। आरक्षण तो चलेगा, चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा।

एक सवाल पूछा गया कि क्या जाति होती है? मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब आप जवाब दें, तो उसमें यह बता दें कि जिस प्रदेश में आप यह कर रहे हैं, वहीं एक सोनभद्र है, मंत्री जी, वहां इसी गोंड समुदाय के 11 लोगों के साथ क्या हुआ था? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उन्हें टुकड़े-टुकड़े करके मार दिया गया, जला दिया गया। यह वही प्रदेश है, जहां पर एक अनुसूचित जाति की लड़की पर केरोसिन ऑयल डालकर हाथरस में जला दिया गया था। ...(यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Please. ...(Interruptions)... No interruptions, please. ...(Interruptions)... Tiwariji, you please resume.

...(Interruptions)... No interruptions...(Interruptions)..., Please don't interrupt...(Interruptions)... When your turn comes, you can speak.

श्री प्रमोद तिवारी: सर, इन्हें करने दीजिए, इन्हें इंटरप्ट करने दीजिए, यह बात इनको भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन ऊपर का डंडा इतना मजबूत है कि बेचारे उनके सामने बोल नहीं पाते हैं।

मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहता हूं, अभी वे यहां बैठे नहीं हैं, आप बोल लीजिए, वे आ जाएंगे, तो आप बोल नहीं पाओगे। अब जरा आगे आइये, मैं एक सवाल का प्वाइंटेड, स्पेसिफिक जवाब माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि 1976 में तत्कालीन प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी ने ट्राइबल सब-प्लान लागू किया था, उसके लिए अलग से बजट दिया था, अलग से फंड दिया था। ...(व्यवधान)... 1980 में...(व्यवधान)... मंत्रालय बनाने से क्या होता है, जब माल-पानी नहीं दोगे। मैं आज आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सिहत कई ऐसे राज्य हैं, जहां शेड्यूल्ड कास्ट्स के बच्चों का अनुदान रोक दिया है, उन्हें फीस नहीं मिल रही है, बैकवर्ड क्लास की फीस नहीं मिल रही है। जब मैं यह बात कह रहा हूं, तो ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। मैं मंत्री जी से स्पेसिफिक जवाब चाहूंगा कि 1980 में इंदिरा जी ने सब-प्लान लागू किया, यानी जनसंख्या के अनुपात में उनका बजट अलग किया था, तब उनको मिलता था, अब तो उनका माल, वहां आपके जो लोग सरकार में सत्तानशीं हैं, वे चाटे जा रहे हैं, उनको हिस्सा नहीं मिल रहा है। आज शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स लूट रहे हैं।

महोदय, मैं इनसे बहुत ज्यादा सवाल नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि एससी और एसटी के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए अगर ईमानदारी से आप कोशिश करें, तो आप मेरे तीन सवालों के जवाब जरूर दें -

कुछ जिलों में था, कुछ जिलों में अब बढ़ा रहे हैं, इसे पूरे प्रदेश में लागू करने में आपको क्या दिक्कत है? यह मेरा पहला सवाल है।

मेरा दूसरा सवाल यह है कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने अलग से आबादी के अनुपात में इन्हें जो बजट दिया था, उसे फिर से लागू करने में आपको क्या दिक्कत है?

मैं अपना तीसरा सवाल पूछकर यह जरूर चाहूंगा कि आप उसका भी जवाब दें। आखिर आपके मन में, मैंने जिन जातियों का नाम लिया, धर्म का नाम लिया, उनके प्रति इतनी नफरत क्यों है? अगर आपको याद आये तो आप बताइयेगा कि पूरे देश में कौन ब्राह्मण मुख्य मंत्री है, कौन जाति का मुख्य मंत्री है, कौन मुस्लिम मुख्य मंत्री है। यदि आप नहीं बताना चाहते हैं, तो मत बताइये और आप बिल्कुल मत बताइये, चूंकि आप खतरे में हैं।

महोदय, मैं आखिरी बात कह कर समाप्त कर दूँगा। हम चूँकि आरक्षण लाये थे, कांग्रेस की सरकार ने ही संविधान में प्रावधान किया था, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का अलग से बजट भी हमने दिया था, इंदिरा जी ने दिया था, मैंने बता दिया। हम उनके हितचिन्तक हैं, इसलिए जो कुछ आप लाये हैं, हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन यह जरूर जानना चाहते हैं कि आप इसको पूरे प्रदेश में लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? धन्यवाद।

DR. SANTANU SEN (West Bengal): Thank you, respected Chair, for giving me this opportunity. Sir, we are here to discuss about "Gond" Community. The Gond

Community is to be recognised as ST in four Districts of U.P. The Bill amends the SC Order to exclude Gond Community as ST in four Districts of U.P. and it amends SC Order to recognise Gond Community as ST. Sir, I appreciate this approach. At the same time, I encourage some important issues which I am going to highlight upon. Instead of bringing separate Bills, the Government should have taken some comprehensive measures to include some other communities in different other States. We have seen the Government has clubbed non-money Bills with money Bills several times in order to get it passed properly or smoothly. Sir, combining multiple SC/ST Order Amendment Bills into one Bill would have been less dangerous than this. We have seen the parliamentary mockery in last few years. So far as the scrutiny of Bills is concerned, in 15th Lok Sabha, the percentage of scrutiny was 71 per cent and now, it has come down in 17th Lok Sabha to 13 per cent only. What can be a more mockery of Parliament than this? Sir, we are talking about Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Let me draw your attention to the Budgetary allocation for employment generation of SC. It was Rs. 170.96 crores last time and it has come down to Rs.22.97 crores. It has been slashed down by 86.5 per cent. So far as the Scheduled Tribes is concerned, the Budget allocation for employment generation was Rs.89.5 crore earlier and it has come down to Rs.11.3 crores. So, it has been slashed down by 87 per cent. According to Dalit Arthik Adhikar Andolan, there are gaps of Rs.40,634 crores for Scheduled Castes and Rs.9,399 crores for Scheduled Tribes in the Budget. The problem is, nowadays NDA does not stand for National Democratic Alliance. Nowadays, it stands for No Data Available. Where is the will to conduct 2021 Census? We have enough fortitude to conduct elections despite Covid, despite everything. But, at the same time, we don't have any proper intention to go for the Census. No socio-economic caste census data is available. The Government doesn't want to release the decade old data from 2011 socio-economic caste census. What are you afraid of discovering of?

Let me talk about the SC/STs literacy rate in our country. In India, the Scheduled Castes male literacy rate is 75 per cent whereas in our State of West Bengal, it is 84 per cent. In India, the female Scheduled Castes literacy rate is 68 per cent whereas in our State of West Bengal, it is 74 per cent. As far as Scheduled Tribes is concerned, male literacy rate in India is 56 per cent whereas that in our State of West Bengal is 65 per cent. Why don't you take the good part of West Bengal? What is the harm in taking the data part of West Bengal? Let me talk about some West Bengal's schemes which benefit the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in reality. Let me talk about Aikyashree. It was scholarship scheme. Let me talk about Post Matric Scholarship. Let me talk about Oasis Scholarship. Sir, there is a SC/ST

Pension Scheme for vulnerable elderly. Various lending programmes to grow entrepreneurship are there. The actual problem is, what the love and affection of this B.J.P. Government, for Scheduled Castes and Scheduled Tribes is! If you recall our respected DrapaudiMurmu*ji*, after she got the nomination for the President of India, light post was installed in her native place. That is her love for Scheduled Castes and Scheduled Tribes community. *That is the love and concern for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes community. Sir, the problem is West Bengal is the only State where we are having a specific Scheduled Caste Advisory Council.

But this Government is so egoistic that they would not talk to the West Bengal Government, because, there, Mamata Didi is ruling the State. I am talking about the Centre's vision. There was one National Overseas Scholarship for Scheduled Castes. The students who wanted to study Indian culture and history abroad used to be benefited by that. What did this Government do? This Government totally discontinued this scheme! The Central Government has a project called SHREYAS. It is an umbrella programme comprising four highly important higher education programmes—National Fellowship for Scheduled Castes, National Overseas Scholarship for Scheduled Castes, Top Class Education for Scheduled Castes and Free Coaching for Scheduled Castes & OBCs. Can you ever imagine the budgetary allocation for this important project, Sir? You will be surprised to know that the entire budgetary allocation is a paltry amount of only Rs.364 crore! You can just imagine, by going through this data, how much concerned this Government is so far as the Scheduled Castes & Scheduled Tribes are concerned.

Sir, the Government of India announced in 2021 Budget that 750 Ekalavya residential schools will be formed. But, only 367 are functional till date. There is now a new population criterion for sub-district Ekalavya schools. So, again some restrictions have been imposed upon so that the number will be even less in the coming days.

Sir, only 36,000 land titles were distributed under the Forest Rights Act between 2019 and 2020. The poorest performers are the BJP-ruled States--earlier it was Bihar, Uttarakhand and Goa. It does not serve any one to offer mere lip service to the cause of Scheduled Tribes while selling their lands and resources to corporates. What does the NCRB report say? The National Crime Records Bureau says that atrocities against Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been increased by 6.4 per cent in 2021, and Uttar Pradesh is leading the least with 13,146 cases, the

٠

^{*} Expunged as ordered by the Chair.

highest against the Scheduled Castes total percentage of 26 per cent. Violence incidents against Dalit and Adivasi women are increasing day by day. Rape numbers so far as the Scheduled Caste women and minors are concerned, it is 7.64 per cent and against the Scheduled Tribe women, it is 15 per cent.

Sir, I would conclude with one last shocking statistics. We saw in the last Session how the Criminal Procedure (Identification) Bill, 2022 was bulldozed through the Lok Sabha. I don't need to tell this House what a draconian Bill that was. Three in four, that is, 75 per cent of prisoners in India are under-trials, one of the highest proportions in the world. Worse than this, two in three prison inmates or 66 per cent belong to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and OBCs. These communities have historically been discriminated against and profiled through legislations like the Habitual Offenders Act, and your new law opens them up to further violation of human rights.

Sir, I support this Bill but I oppose the tokenism. The problem is, the love for Scheduled Castes and Scheduled Tribes is shown when the BJP leaders from the Centre are going to visit some SC/ST houses. Before going to their places, they are taking the food from a Seven Star hotel; they will enter the SC/ST house; they use only their utensils while eating the Seven Star food which is kept on the utensils of the ST community. They eat like that and come out forgetting them. This is the love and affection towards SCs/STs. I support this Bill, but I oppose this tokenism. This is what this Government does in the name of welfare for the SCs and STs. Let me paraphrase our hon. Prime Minister's slogan to reflect this Government's attitude towards disadvantaged communities—sab ka saath, par sirf kuch ka vikaas.

So, my humble suggestion would be that instead of shedding crocodile tears for the SCs/STs, really try to think positive for the betterment of these backward communities of the country. Thank you very much, Sir.

SHRI NIRANJAN BISHI (Odisha): Hon. Vice-Chairman, Sir, I convey my gratitude to you for permitting me to speak on the Constitution (Scheduled Caste and Scheduled Tribes) Orders (Second Amendment) Bill, 2022 as passed in the Lok Sabha on 28th March, 2022 by the hon. Minister of Tribal Affairs, Shri Arjun Munda. I, on behalf of my party, BJD and our hon. Chief Minister, Shri Naveen Patnaik support this Bill. If we go through the Bill, the background, the summary and amendment of the Bill we find that it is a genuine and a justified Bill. Definitely, it will be helpful for the larger interest of the tribal community. The State Government of Uttar Pradesh has requested to exclude Gond community living in the newly created districts of Sant Kabir Nagar, Sant Ravidas Nagar, Kushinagar and Chandauli in the State of Uttar

Pradesh from the list of Scheduled Castes and to include Gond, Rajgond, Dhuria, Nayak, Pathari Ojha living in the above district in the list of Scheduled Tribes in the State of Uttar Pradesh. The Bill seeks to amend Part 18 - Uttar Pradesh of the Schedule to the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 to omit Gond community from the districts of Sant Kabir Nagar, Kushinagar, Chandauli and Sant Ravidas Nagar in entry 36, and to include Gond, Dhuria, Nayak, Ojha, Pathari, Rajgond communities living in the districts of Sant Kabir Nagar, Kushinagar, Chandauli and Sant Ravidas Nagar in the list of Scheduled Tribes in the State of Uttar Pradesh. The Bill seeks to amend Schedule to the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967 to include the districts of Sant Kabir Nagar, Kushinagar, Chandauli and Sant Ravidas Nagar in entry 6. Sir, Jaipal Singh Munda, a Member of the Constituent Assembly had said, "हम आदिवासी हैं, आदिवासी नाम हमको पसंद है, दूसरे नाम हमको मंजूर नहीं।" यह जो उत्तर प्रदेश के गोंड आदिवासी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत के सभी राज्यों में गोंड और राजगोंड ट्राइबल कम्युनिटी में हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिस्ट में हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में वे शेड्यूल्ड कास्ट में थे, इसलिए हमारे माननीय मंत्री, अर्जुन मुंडा जी उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटी में लाए हैं। हम उन्हें बहुत एप्रीशिएट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। सर, हमारे ओडिशा में the Scheduled Tribes identified are 62 in number like Sabar, Kandha, Gond, Binjhal, Santhal, Ho, Oraon, Matya, Mirdha, Chenchu, Dal, but some of these communities proposed for inclusion are actually sub-set or phonetic variations of the name of the existing ST communities, but are still deprived of the benefits availed by STs with similar tribal characteristics residing in different parts of the Odisha State, who have since been notified as Scheduled Tribes. So, inclusion of the left-out communities will give them their much-needed recognition as Scheduled Tribes and ensure them social justice in accordance with the provisions of the Constitution of India. The Ministry of Tribal Affairs, Government of India had constituted a task force. It had examined and recommended the ten communities of Odhisa for inclusion in the ST list in the State of Odisha on priority basis. They are Tamaria, Bhanja Puran, Tamadia, Bhukta, Durua, Kalanga, Nakasia, Paba, Khandayat Bhuyan, Tamudia, Chapua Kamar and Kandhia. These ten communities should be included in the ST list. Sir, there are some other changes. Saara is the synonym of Savar, Sahara and Shabar tribe community is enlisted in Serial No. 59 of Scheduled Tribe list of Odisha. Savara, the tribal king Biswabasu Savara was the first priest of Nilamadhava, now Shri Jaganath Puri.

So, he was a tribal leader. He is a Scheduled Tribe King — Sabar King Biswabasu. His heirs, who are ancestors of Sabar Community, have been identified as Saara. These Saara are in eleven districts, like Khordha, Nayagarh, Cuttack, Puri, Bhubaneswar, Dhenkanal, Angul, Jajpur, Jagatsinghpur. The Saara people are

demanding to include them in the List of Scheduled Tribes in our Odisha State. They are deprived from the benefits of reservation in education, promotion, employment and in political positions. So, Saara should be included, because it is a synonym and, due to phonetic variation, Saara has been deprived and left out.

Another one is Kandha Kumbhar, Jodia, Jhodia, Jadia, Jhadia, Chuktia Bhunjia, Mankidia, Porja, Banda Paraja, Durua and Pharia. Sir, Pharia is also a synonym. And, Sir, there is also a demand for inclusion of Particularly Vulnerable Tribal Groups i.e., Paudi Bhauyan and Chuktia Bhunjia. So, these are all tribal communities.

Sir, the ruling party in the State has also been pressing for its long-standing demand for Caste-based Census to ascertain the actual population of various classes for taking up several developmental activities for their all round development.

Sir, the Odisha Cabinet had, in January, 2020, passed a Resolution for the conduct of socio-economic caste enumeration simultaneously, along with general Census in 2021, but the same was not taken up by the Central Government.

Sir, the Government of India Scheduled Castes Order 1936 had identified 54 sub-caste groups of Odisha as SCs. But, during the last 72 years, the number of sub-caste has increased in the State of Odisha and till 2022 it was 95 while some sub-caste groups are still in queue to be enlisted as SCs.

Sir, since 1978, proposals for inclusion of different SCs/communities have been submitted to the Government of India at different points of time for inclusion in the SC List of Odisha. After inclusion and rejection, at present, four such proposals are pending with the Government of India for inclusion in the SC List of Odisha, as per information collected from the Government (SSD Department). The details of the pending communities are as follows. The first one is Chambhar. The proposal for inclusion of Chambhar as synonym of Chamar at SI. No. 19 of the SC List of Odisha was submitted. The second one is Chik/Chik-Badaik. The proposal for inclusion of Chik/Chik-Badaik as synonym of Badaik at SI. No. 4 of the SC List of Odisha was submitted. The third one is Siala/Sial. Sir, the proposal for inclusion of Siala/Sila as synonym of Siyal at SI. No. 86 of the SC List of Odisha was submitted. The next one Mahara/Mohara/Mohra/Mahra. The proposal for inclusion Mahara/Mohara/Mohra/Mahra as synonym of Mahar/Mehra at SI. No. 59 of the SC List of Odisha was sent to the Government of India. But, not yet enlisted.

Sir, Article 46 to the Constitution entrusts the States to take special care in promoting educational and economic interests of the weaker sections of the society and, in particular, SC/ST and to protect them from social injustice. Sir, SCs have been defined under Para 24 of Article 366 to the Constitution, as such, caste, races

or tribes or parts of or groups within such castes, races or tribes as are deemed under Article 341 to be Scheduled Castes for the purpose of this Constitution.

The term 'Scheduled Caste' has been defined in Clause 24 of Article 366 of the Constitution as, "Such castes, races or tribes or parts of or groups within such castes, races or tribes as are deemed under Article 341 to be Scheduled Castes for the purpose of this Constitution". The term 'Scheduled Tribe' has been defined in Clause 25 of Article 366 of the Consitution as, "Such tribes or tribal communities or parts of or groups within such tribes or tribal communities as are deemed under Article 342 to be Scheduled Tribes for the purposes of this Constitution".

According to the provisions of Articles 341 and 342 of the Constitution the first list of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes was notified during the year 1950 in respect of various States and Union Territories, vide the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 and Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950. This list has been modified from time to time. List of the Scheduled Tribes of the State of Uttar Pradesh has been modified vide the Constitution Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 2002 (10 of 2003). So, through you, Sir, I would like to request the hon. Minister of Tribal Affairs, Shri Arjun Mundaji, to take suitable steps for inclusion of our Scheduled Tribe communities because since 1978, at different points of time, 169 proposals have bene sent to the Ministry of Tribal Affairs, Government of India, for inclusion in the Scheduled Tribes list of Odisha. At present 149 proposals — 140 new and 9 resubmitted — are pending with the Ministry of Tribal Affairs, Government of India, for inclusion in the Scheduled Tribes list of Odisha. The hon. Chief Minister of Odisha, Shri Naveen Patnaikji, had written a letter on 19th February, 2021, to the Ministry of Tribal Affairs for inclusion of these tribes in the list of Scheduled Tribes. Certain tribes, mentioned in the list sent by our hon. Chief Minister, are actually subsets or phonetic variations of the name of the existing ST communities. So, they should be included in the list of Scheduled Tribes because the Ministry of Tribal Affairs, Government of India, had constituted a Task Force, under the chairmanship of Secretary, Ministry of Tribal Affairs, on 03rd February, 2014 to examine proposals for inclusion of communities in the list of Scheduled Tribes, and for suggesting measures, if needed, for improving and streamlining the system and procedures with regard to the existing criteria.

Therefore, Sir, I request the hon. Minister to immediately include the ten communities in the list of Scheduled Tribes. The hon. Minister, Shri Arjun Mundaji, also belong to Tamadia Community. In Odisha, the Bhanja Puran/ Tamadia/ Tumadia/ Tamaria/ Tamuria have not yet been included in the list of Scheduled tribes.

Sir, once again, I request for inclusion of these ten communities in the list of Schedule Tribes because this list had already been examined and approved by the Task Force on 3rd July, 2014. These ten communities are Bhanja Puran/ Tamadia/ Tumadia/ Tamaria/ Tamuria/ Puran; Bhagata/ Bhukta/ Bhogta or Bhokta; Durua; Kalanga; Nakasia; Paba; Khandayat Bhuyan; Tamudia/ Tamadia; Chapua Kamar; Kandhia. And, also there are certain communities which are synonyms or are phonetic variations, like Saara and Mankidia Paroja, Banda, Durua, Jhadia. These should also be included in the list of Scheduled Tribes. I also request for inclusion of certain castes -- like Chambhar, Chik-Badaik, Siala, Mohara -- in the list of Scheduled Castes, which are phonetic variations of certain castes which are already there in the list of Scheduled Castes. They are original Scheduled Castes of Odisha. But, due to phonetic variation, they have been deprived of their reservation rights in the field of education, employment, promotion, etc.

Sir, in conclusion, I would say that it is a laudable step taken by the hon. Minister, Shri Arjun Munda*ji*, for the empowerment and development of tribal communities. With these words, my party supports this Bill.

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO (Uttar Pradesh): Sir, I have a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): This was Mr. Niranjan Bishi's maiden speech. Thank you, Niranjan*ji*.

Yes, what is the rule?

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: Sir, it is Rule 238(vi). The hon. Member, Santanuji, while participating in the debate referred to hon. Rashtrapatiji in the speech. I think, it is certainly a breach of conduct in the House. So, I request that references to hon. Rashtrapatiji made in the speech be expunged. It clearly says, "Rules to be observed while speaking: (vi) 'use of President's name for the purpose of influencing the debate... This is one of the rules which prohibits the use of Rashtrapati's name. The whole nation takes pride in hon. President...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): You have made your point. He has not...(Interruptions)...

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO:but referring to the hon. President in a debate is a clear breach of conduct of the House. Also, another point....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Mr. Narasimha Rao, please. Don't elaborate. You have made a point under this Rule. But this was his maiden speech. He has not made any comments. If so, it will be looked into.

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: Sir, it is not him. I was referring to the previous speaker.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Please sit down.

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: Also, Sir, the Rule 238(iii) says, "use of offensive expressions about the conduct or proceedings of the Houses..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Quote me the rule. What is that?

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: Some references were made to BJP leaders' visits to ST homes. I think this is a political allegation. Either he substantiates it or apologises for it. ..(Interruptions)..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): No, no. Kindly sit down. He has not mentioned anything of that sort.

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: You cannot have unsubstantiated allegation ... (Interruptions)..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Mr. Narasimha Rao, you are unnecessarily raking up something. He has not mentioned anything of that sort.

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: This is not unnecessary, Sir. These are completely bogus allegations. ... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): No. You could have pointed out at that time itself. ..(Interruptions).. Please sit down.

PROF. MANOJ KUMAR JHA: He is not raising a point of order. ... (Interruptions)... He is bringing disorder. It is a point of disorder. ... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): For your kind information, Mr. Niranjan during his maiden speech was very careful. He has not mentioned anything of that sort. ...(Interruptions)...

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: I am referring to Dr. Santanu.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): That you should have mentioned at that time itself. ... (Interruptions)... Please sit down. Shri Subhas Chandra Bose Pilli.

SHRI SUBHAS CHANDRA BOSE PILLI (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you very much for having given me the opportunity. Also, I convey my thanks to the Government for bringing this Bill forward. The Gond community in Uttar Pradesh has been vital in leading their way to change through the representation of their tribes. Different districts inhibiting different demographics have been categorized as areas belonging to different Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Therefore, this Bill rightly amends four districts under Scheduled Tribes areas that were wrongly ascribed.

I am giving two positive points in this Bill. The first one is, according to the 2011 Census, tribal communities in India constituted 8.6 per cent of the total population, meaning that 104 million people categorize themselves as *adivasis* in India. Secondly, the Gond community, that this Bill rightly ascribes to, makes up the largest share of the tribal community currently residing in India. The 2011 Census records the Gond community population at 1,13,44,269. I believe that this Bill will help them in getting recognized as a distinct tribal group with their own culture and practices.

Sir, tribal communities in India are not adequately recognized and therefore this Bill will help them to represent themselves and claim their rights.

Sir, I am also giving one or two suggestions.

One is climate change. As we are all aware that climate change is a problem for all of us. It is even more so for the Adivasi communities residing in India. These communities usually have a close cultural relationship with their environment and depend on it for their livelihood and income. Therefore, I would urge the Government to conduct an assessment as to how climate change would disproportionately affect the Indian tribal population, and to come up with preemptive policies. It is imperative for us to act proactively and to understand if climate change can affect this underserved community.

Second is, tribal religion. The environment is not only related to their livelihood but it is also very close to their identities as tribal communities. Preserving and protecting their environment is also a part of their religion as most of them worship nature. Therefore, it is essential to understand how climate change can hamper their livelihood and their fundamental rights.

Hon. Vice-Chairman, Sir, please allow me -- and it is also not out of place -- to mention some of the positive aspects that our Government is taking for development of tribals.

My home State of Andhra Pradesh is having ST population of 5.53 per cent as per 2011 Census. Our State has implemented many welfare schemes focused towards the upliftment of our tribals. So, I am seeking financial support for our tribal community from the Government of India.

We are implementing Sub-Plan of SC scholarships, Ambedkar Overseas Vidya Bidhi Scheme, Skill upgradation schemes and we also provide scholarship for coaching for international exams like ToEFL and GRE. Our State Government is implementing all these schemes.

Then, Sir, I come to the financial support to this community. The Budget of 2021-22 showed that 'welfare of ST' was allotted Rs. 2,026 crores whereas the Revised Estimates showed that only Rs. 1,616 crores were allocated. Even grants to State Government decreased by Rs. 755 crores in the same year. The Budget of 2020-21 allocated initially as Rs. 4,717 crores whereas the Revised Estimate showed a significant decrease to Rs. 3,416 crores. I wonder whether adequate support was extended to our tribal population during the initial two years of pandemic. It is essential for the Government to assess how the pandemic must have affected them and to provide financial support, if need be.

With this, I would like to conclude by saying that in a diverse democracy like India, it is essential for the Government to do all that we can to represent different interests equally. Therefore, I believe that this Bill gets us one step closer to our vision. With this, I support this Bill on behalf of our party.

DR. V. SIVADASAN (Kerala): Respected Chair of the House, I support the inclusion of these communities. But, at the same time, I have to request the Government to please include *kol, korwa, musahar* and *baiga* communities in Uttar Pradesh.

Respected Sir, because of mere inclusion of communities in the SC list, the Adivisi communities can't get any benefit. So, proper financial assistance is very necessary for the development of Adivasi communities in our nation. The *adivasis* and *dalits* are requesting more financial assistance, but this Government is not ready to

give any support to them. These people think that inclusion of their names in the SC and ST list would create new space for them in the Government and public sector jobs, but what is the reality in India? Thirteen lakh posts are lying vacant in the public and Government sector in the country. In the Army, 1,31,000 posts are lying vacant, in the Railways, 2,26,000 pots are lying vacant and many posts are lying vacant in various public sector companies. What action has the Government taken for filling up these vacant posts? In the last five years, less than two lakh posts have been filled up by this Government, which means, per year just 40,000 vacant posts are being filled up. In Kerala, 1,99,201 posts have been filled up by the Kerala Public Services Commission. That is the difference. Adivasis and dalits are getting jobs in Kerala. I wish to underline that here. In Uttar Pradesh, not a single advisai or dalit got a job in the telecom sector in the last five years. Why has this happened? happened because of privatization. This Government is not ready to allow reservation in the private sector. They are doing so much of privatization, but the adivasis and dalits are not getting jobs. Reservation in jobs in the private sector is very important. Government should take action for the inclusion of adivasis in the private sector also. What is the condition of adivasis in the education sector, especially in Uttar Pradesh? There, in 21 Central educational institutions, they did not give admission to even a single adivasi Research Scholar in the last year. Not a single dalit Research student was given admission in 11 Central education institutions in the last one year. What is happening here? Majority of the adivasis are dependent on the Government and public health sector, but the Government is reducing the allocation of money to the public health sector. That should be corrected. The Government must try to provide more financial support to the public health sector. Adivasis face a lot of problems. Malnutrition is very high in adivasi areas. All these things should be addressed by the Government. They must tell us what they are doing. Here, Government is running with the hares and hunting with the hounds. It should be corrected. They should try to support the adivasi and dalit communities. Otherwise, I am sure, this Government would face a huge struggle from these people.

Sir, with these words, I conclude my speech.

श्री रामजी (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। साथ ही मैं अपनी पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी का आभार व्यक्त करता हूं।

मान्यवर, मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गोंड, धूरिया, नायक, ओझा, पथारी और राजगोंड की लम्बे अरसे से डिमांड आ रही थी कि उनको ट्रायबल्स में इन्क्लूड किया जाए। इसके लिए माननीय मंत्री जी ने प्रयास किया है, इसलिए मैं

माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में एक जाति महरा और माहरा है और उनकी आबादी 12 लाख की है। उनकी लम्बे अरसे से डिमांड है कि उन्हें ट्रायबल्स में इन्क्लूड किया जाए। उनकी जो संस्कृति है, वह भी पूरी तरह से ट्रायबल्स के साथ मिलती है। महरा जाति के लोग ग्राम्य देवी-देवता की पूजा करते हैं। उन्हीं देवी-देवताओं के रूप में बौद्धराज, गंगाराज, हिंगलाजिन देवी, धनतेश्वरी देवी, गंगना देवी, भैरव देव का पूजा-पाठ करते हैं। महरा जाति के लोग जादू-टोने में विश्वास रखते हैं। वे वैगा, ओझा, पुजारी आदि से झाड़-फूंक कराते हैं। उनके जो त्योहार हैं, वे भी आदिवासियों से मिलते-जुलते हैं। बीज, पंडो, आमुष, नवाखाई, धाननवा आदि उनके त्योहार हैं, जो कि आदिवासियों से मिलते-जुलते त्योहार हैं। मान्यवर, पाठ 4 - सी में, मध्य प्रदेश का जो ग़जट है, उस 8 दिसंबर, 1950 की सूची में अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में महरा जाति भी अंकित है। मान्यवर, यह जाति सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से बहुत पिछड़ी हुई है। इनको देश की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार का प्रोत्साहन आवश्यक है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि महरा/माहरा जाति, जो एक ही है, उनको भी छत्तीसगढ़ के ट्राइबल्स में शामिल किया जाए।

महोदय, मैं इसके साथ ही आपके माध्यम से सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जो धोबी समाज है, जो कि अन्य प्रदेशों में अनुसूचित जाति में आता है, वह धोबी समाज भोपाल, रायसेन और सिहोर में भी एस.सी. वर्ग में आता है, लेकिन बाकी जिलों में सामान्य श्रेणी में आता है। उनकी भी एक लंबे समय से मांग आ रही है कि धोबी समाज यह कहता है कि हमारे मरने पर और जब हमारे यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है, तब हमारे द्वारा मवाद के और हॉस्पिटल के सारे गंदे कपड़े धुलते हैं, खून के गंदे कपड़े धुलते हैं, इसलिए हमारे साथ जाति का भेदभाव होता है। हमारे साथ छुआछूत होती है, इसलिए हमारी जाति को भी मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में एस.सी. वर्ग की जाति में शामिल किया जाए। महोदय, यह उनकी एक लंबे समय से डिमांड चली आ रही है और मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि धोबी समाज को भी एस.सी. वर्ग की जाति में मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी शामिल किया जाए। इसके साथ ही उनकी जाति के अनुपात में मध्य प्रदेश में एस.सी. वर्ग का रिज़र्वेशन भी बढ़ाया जाए।

मान्यवर, ट्राइबल मिनिस्टर यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में स्कूल, शिक्षा और जनजाति विभाग की एक भर्ती निकाली गई। संयुक्त काउंसलिंग में 10,082 पद निकाले गए। उसमें ट्राइबल्स के 9,315 लोग क्वालिफाई कर पाए, लेकिन वहाँ पर बाकी पद आज भी खाली हैं। महोदय, अभी वहाँ पर 767 पद खाली हैं। सर, ईडब्ल्यूएस कोटे में जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए, वहाँ पर सरकार ने जो कट ऑफ लिस्ट थी, उसमें मार्क्स कम कर दिए और ईडब्ल्यूएस कोटे की पोस्ट्स भर दी गईं, लेकिन ट्राइबल्स की पोस्ट्स नहीं भरी गईं, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर संज्ञान लेकर मध्य प्रदेश की जो 767 पोस्ट्स रिक्त हैं, इनको भरवाने का भी काम करें।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन क्र. सं. 3, 2022 - दिनांक 20 जुलाई, 2022 को स्त्री रोग विशेषज्ञ इंटरव्यू में 100 में से प्रदान किए गए अंक जातिगत भेदभाव के कारण एस.टी./एस.टी/ओबीसी वर्ग के विरुद्ध हैं। इसमें जातिगत भेदभाव को देखकर एक जाँच की प्रक्रिया अपनाई जाए कि जो एस.टी./एस.टी/ओबीसी वर्ग के एप्लिकेंट्स थे, उनको 30, 32, 40 और 50 नंबर दिए गए। यह

एक जातिवादी मानसिकता की सोच को दर्शाता है, अतः मैं माननीय ट्राइबल मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा और आपके माध्यम से सरकार से भी कहूंगा कि सामाजिक न्याय अधिकारिता मिनिस्ट्री भी इसमें इन्वॉल्व होकर इसकी प्रॉपर जाँच कराए।

मान्यवर, मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि आज पूरे देश के अंदर ट्राइबल्स पर अत्याचार बढ़ गए हैं। मैं किसी भी सरकार के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ट्राइबल्स के ऊपर अत्याचार बढे हैं। महोदय, वह चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ हो, हर जगह पर ट्राइबल्स पर अत्याचार बढे हैं। अभी हाल ही में राजस्थान के अंदर कार्तिक भील एक संघर्षशील युवा लड़का था। वह अपने अधिकारों को लेकर संघर्ष कर रहा था, वह अपने सामाजिक अधिकारों को लेकर संघर्ष कर रहा था, वह अपने संवैधानिक अधिकारों को लेकर संघर्ष कर रहा था, लेकिन वहाँ पर पहले की भाँति - जिस तरह से मूँछ रखने पर जितेंद्र मेघवाल की हत्या की गई थी, वैसे ही वहाँ पर कार्तिक भील की भी हत्या कर दी गई। उसकी जातिवादी मानसिकता के लोगों ने हत्या कर दी। मान्यवर, आज उसका परिवार दर-दर भटक रहा है। वह अपने बच्चे के इंसाफ के लिए दर-दर भटक रहा है, लेकिन उसे आज तक इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। मान्यवर, मैं मध्य प्रदेश की ऐसी ही घटनाएं आपके सामने लाना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में सिवनी के अंदर सिमरिया गाँव है। सिमरिया गाँव के अंदर धनसा, संपत लाल और ब्रजेश - इन तीन युवकों को रात में खींचकर पीटा गया। उसमें संपत लाल और धनसा की मौत हो गई। इन ट्राइबल्स की मौत हो गई। वहीं नीमच के अंदर एक ट्राइबल को ट्रक से बांधकर खींचा गया, उसकी भी मौत हो गई। मैं आपको नेमावर की घटना बताता हूं। नेमावर में ट्राइबल्स के पूरे परिवार को मारकर जमीन में गाड़ दिया गया। मान्यवर, यह कोई एक घटना नहीं है, हमारे सामने ऐसी तमाम घटनाएं आती हैं। मैं आपको केरल की घटना बताता हूं। केरल के अंदर मधु नाम का एक ट्राइबल था। वह ट्राइबल जंगलों से निकलकर काम के सिलसिले में आया, लेकिन उसको भी पीट-पीटकर मार दिया गया। आज पूरे देश के अंदर ऐसी शर्मनाक घटनाएं ट्राइबल्स के साथ होती हैं।

3.00 P.M.

आदिवासियों और दलितों के साथ होती हैं, इसलिए इसमें नियम-कानून के अन्तर्गत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति इस देश के अन्दर न हो।

यही मैं आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बिरसा!

श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक (मध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। मैं माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को भी धन्यवाद देती हूं कि मुझे इस सदन में आने का अवसर दिया है।

माननीय महोदय, सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची अधिसूचित की जाती है। विभिन्न राज्यों द्वारा गहन अनुसंधान और मानक मापदण्डों का पालन करते हुए अपनी-अपनी सूचियां तैयार करके केन्द्र में भेजी जाती हैं और केन्द्र द्वारा उनका गहन अध्ययन कर अपनाया जाता है।

महोदय, इस विधेयक के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची में उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर, कुशी नगर, चंदौली और संत रविदास नगर जिलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का अत्यधिक समुदाय है। उसमें जनजाति की श्रेणी में जो अनुसूचित जनजाति के लोगों को रखा गया है, उसमें संशोधन करने का प्रस्ताव है। यह जनजाति दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाली जनजाति है। इस जनजाति की पूर्व की बहुत ही दर्दनाक कहानियां रही हैं। इन्होंने जो दंश झेले हैं, वे मानव के लिए अभिशाप रहे हैं। इतिहास इसका महत्व बताता है और गवाह है। इसमें कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे, जैसे कि हमारे बलिदानी लोग माननीय राजा संग्राम सिंह, रानी अवंतीबाई, दुर्गावती लोदी, रानी दुर्गावती, दलपत शाह जी, रघुनाथ शाह जी, शंकर शाह जी को तोप के मुंह से बीच चौराहे पर हमारे मध्य प्रदेश की जिला जबलपुर छावनी में फांसी पर लटका दिया गया। वहां आज भी उनकी समाधि बनी हुई है, ब्रिटिश काल में उन्हें उड़ा दिया गया था। उसी तरह मंगू भाई को कोलकाता की बैरक छावनी में 1856 में बीच चौराहे पर फांसी दी गई थी। इस समुदाय ने बहुत कठिन परिस्थितियों में अपने अस्तित्व को बचाये रखने के लिए 700 वर्ष तक मुगल काल में और 250 साल तक अंग्रेज़ों के काल में अपने जल, जंगल और जमीन बचाने के लिए संघर्ष किया है।

में कहना चाहूंगी कि आदरणीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में आज लगातार हमारे समुदाय के बारे में अध्ययन किया जा रहा है, जिसके परिणाम आज 9 वर्षों में आप देख रहे हैं। मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं माननीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी को धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदाय के सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक विकास के लिए निरन्तर प्रयास कर योजनाएं तैयार की हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में जनजाति के गौरव और अस्मिता को आगे बढ़ाने और सम्मान की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ठोस कदम उठाये जा रहे हैं। यह अभूतपूर्व प्रयास 'न भूतो न भविष्यति' है। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के बाद हिन्दुस्तान मैं पहली ऐसी अनुसूचित जाति वर्ग की महिला हूं, जो 75 वर्ष के बाद उच्च सदन के दरवाज़े तक पहुंची है।

माननीय महोदय, जनजाति समुदाय के बारे में, उनके परिवार की संपन्नता के बारे में, उनकी खुशहाली के बारे में, उनके सपने के बारे में माननीय मोदी जी ने जो कदम उठाए हैं, आज उदाहरण आपके सामने है कि जनजाति समुदाय से हमारी वरिष्ठ लीडर, माननीय मुर्मू जी राष्ट्र की नेतृत्व क्षमता को आगे बढ़ा रही हैं। ऐसा आज तक क्यों नहीं हो सका?

माननीय महोदय, भारत का जनजाति समुदाय भारत का असली मालिक रहा है। इस समुदाय ने हजारों वर्षों तक भारत की जमीन को सींचा है, वह भी अपने खून से और इसे संरक्षित किया है। आप चाहें, तो कई पुराणों में कई कहानियाँ देख सकते हैं। आजादी के आंदोलन में भारत के जनजातीय और अनुसूचित जाति के समूह के नायकों ने अपनी जमीन और जंगल बचाने के लिए किले खाली कर दिए, परिवारों का बलिदान कर दिया और अपनी जमीन को छोड़ने में उन्होंने कई कुरबानियाँ दी हैं। महोदय, एक समय था कि यह वर्ग मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहा था और इसे काफी संघर्ष करना पड़ा। किस तरह से लंबे समय तक इस समुदाय की अनदेखी की गई। एक लंबे समय तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय पर घोर अन्याय हुए।

"लम्हों ने ख़ता की है, सिदयों ने सज़ा पाई है", ऐसे ही हमारे वर्ग के साथ कई प्रकार के अत्याचार हुए हैं, लेकिन अब परिस्थितियाँ बहुत अलग हैं। यिद इन 9 वर्षों में देखा जाए, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से माननीय प्रधान मंत्री जी ने नए भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, अंतिम व्यक्ति तक उनके हक और अधिकारों का संरक्षण करने के लिए, उनकी पहचान को पुनर्स्थापित करने के लिए आगे बढ़ाया है। मैं कहना चाहूँगी कि गुरबानी के तीन शब्द हैं - "आद सच, जुगाद सच और है भी सच।" माननीय महोदय, मैं मध्य प्रदेश से आती हूँ, इस नाते मैं अपने वर्ग की तरफ से गवाह के रूप में इस पवित्र मंदिर में स्वयं खड़ी हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी के द्वारा आई है।

माननीय महोदय, सरकार की विभिन्न योजनाओं में प्रधान मंत्री जी की आदर्श योजना, प्रधान मंत्री जी की जनजातीय योजना, विकास मिशन, वन उपजों के लिए समर्थन मूल्यों को देना, पोस्ट मैट्रिक और उच्च शिक्षा के लिए करोड़ों छात्रवृत्तियाँ देना शामिल हैं। "आदर्श एकलव्य" आपके सामने इतिहास बन कर और अभी वर्तमान बन कर खड़ा है। इनमें विद्यालयों का निर्माण करवाना, ट्राइबल एरिया में सब-प्लान के अंतर्गत विशेष सहायता पैकेज देना, जनजातीय समाज की महिलाओं का सशक्तिकरण और विकासोन्मुखी योजनाओं का क्रियान्वयन करना, उद्योग स्थापित करना, उज्ज्वला योजना हर घर जल योजना, इत्यादि शामिल हैं। दूर अंचल में हमारे जो आदिवासी रहा करते थे, उनको पहाड़ों के पानी पर निर्भर रहना पड़ता था। जब बारिश का पानी पहाड़ से आता था, तो वे अपना जीवन उसी से चलाते थे। आज प्रधान मंत्री जी ने उन जंगलों पर निर्भर रहने वाले व्यक्तियों के घरों तक, उन झोपड़ियों तक 'हर घर जल योजना' पहुँचाई। मैं इसके लिए माननीय मोदी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी।

माननीय महोदय, इसी तरह हमारे जो जनजाति समुदाय हैं, उनके चहुँमुखी विकास की 9 वर्षों की पटकथा आपके सामने प्रस्तुत है। मैं इसकी साक्षी हूँ। महोदय, मैं मध्य प्रदेश से आती हूँ, जहाँ 21 प्रतिशत से ज्यादा आबादी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की है। मैं सदन में माननीय प्रधान मंत्री जी और हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री, शिवराज सिंह चौहान जी के कुशल नेतृत्व को नमन करती हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश में मेरे अनुसूचित जाति/जनजाति के भाई-बहन, अब तक के पिछले 70 वर्षों में आप देखें, तो वे हाशिए पर थे। लेकिन आज उनकी तस्वीर और तकदीर दोनों बदल रहे हैं, वे मुख्य धारा में समाहित हो रहे हैं। हमारे यहाँ 'पेसा' कानून लागू किया गया, जिससे जनजाति के भाई-बहनों का सम्मान बढ़ेगा, साथ ही उनकी जो संपत्तियां हैं, वे संरक्षित और सुरक्षित होंगी। माननीय मोदी जी की सरकार दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ अनुसूचित जाति-जनजाति समाज के उत्थान का इरादा रखती है। अगर वित्तीय आवंटनों पर सरसरी नजर डालें, तो आपको यह स्पष्ट दिखाई देगा।

महोदय, इस विभाग के बजट में 2013-14 में मात्र 4,000 करोड़ रुपये थे। आज अगर आप देखेंगे, तो यह रकम बढ़कर 9,000 करोड़ रुपये हो गई है, यानी इनके उत्थान के लिए यह राशि दोगुनी से भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। 'वनबंधु कल्याण योजना' के माध्यम से लगभग 27,000 करोड़ रुपये व्यय किए हैं, साथ ही विभिन्न मंत्रालयों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विकास हेतु लगभग 80,000 करोड़ रुपये व्यय किये जा रहे हैं।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' से भी आगे बढ़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग की सेवा में बहुत कुछ अर्पित करने का मार्ग प्रशस्त किया है, जो भारत के असली मालिकों को मालिकाना हक देने जैसा है। आज मैं आपके सामने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कुछ दर्द और उनके उद्धार के बारे में चर्चा करके अपने आपको गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मैं माननीय प्रधान मंत्री, मोदी जी का भी धन्यवाद करती हूँ। जय हिन्द, जय भारत!

श्री बी. लिंग्याह यादव (तेलंगाना): ऑनरेबल वाइस चेयरमैन सर, आपने मुझे बात करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। We are supporting the Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Second Amendment) Bill, 2022. But such piecemeal Bills will not do justice to the SC and ST communities of the country. Similar requests and demands are coming from different States. We have unanimously passed reservation Bill in the Telangana Assembly. एसटीज़ रिज़र्वेशन को छः परसेंट से बढ़ाकर दस परसेंट करने के लिए हमारे सीएम, के.सी.आर. साहब ने सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रस्ताव भेजा, लेकिन उन्होंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। इसके साथ ही, एससी/एसटीज़ के ऊपर वीकर सेक्शन को ए.बी.सी.डी. कैटेगरी में डिवाइड करने की डिमांड की, जिससे उन लोगों को ज्यादा बेनिफिट हो, इसके लिए स्टेट असेम्बली से पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रस्ताव भेजा, लेकिन उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया। सर, यह रिज़र्वेशन का इश्यू स्टेट्स को देना चाहिए। अगर स्टेट्स को आप यह अधिकार देंगे, तो एससी-एसटीज़ के रिज़र्वेशन को किधर बढ़ाना है, किधर कम करना है, वे अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसे स्टेट्स ही देख सकते हैं, इसलिए यह अधिकार स्टेट्स को ही देना चाहिए।

हमारे तेलंगाना में हमारी बीआरएस पार्टी से के.सी.आर. जी ने आठ सालों से एससी/एसटीज़ के लिए बहुत काम किया। हमारी स्टेट में 'दलित बंधु' के नाम से हम एक स्कीम लेकर आए हैं, जिसमें एक-एक फैमिली को 10 लाख रुपए फ्री दिए गए। No bank, no repayment. सर, हम उनको दस लाख रुपये दे रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट 17 लाख फैमिलीज़ को यह बेनिफिट देने के लिए प्लान कर रही है। सर, हमारी स्टेट में 119 कॉस्टिट्युएंसीज़ में से हर एक कॉस्टिट्युएंसी में 600 फैमिलीज़ को हम यह बेनिफिट दे रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट 17 लाख फैमिलीज़ को कॉटीन्युअसलि यह बेनिफिट देने के लिए तैयार है। हमारी गवर्नमेंट ने एसटीज़ को रिज़र्वेशन देकर हर ग्राम पंचायत में एसटीज़ को सरपंच बनाया है। हमारी स्टेट में एक 'मिशन भागीरथ' स्कीम है। अभी मैडम ने भी हर घर में पानी देने की बात कही।

महोदय, हमारे राज्य में के.सी.आर. द्वारा 'मिशन भागीरथ स्कीम' लाकर हर घर को पानी पहुंचाया गया है। हर घर में नल के द्वारा टीआरएस सरकार के द्वारा पानी दिया जा रहा है। हम हर समूह और हर दिलत वर्ग के व्यक्ति को पानी दे रहे हैं। हमारे राज्य में 'आसरा पेंशन स्कीम' लागू की गई है। देश में अन्य कोई राज्य नहीं है, जहां यह स्कीम लागू की गई हो। हमारे राज्य में हर एससी, एसटी और सारे गरीब लोगों को 2,116 रुपये की पेंशन हर महीने दी जा रही है। हम एससी, एसटी लोगों को आगे बढ़ाने के लिए यह पेंशन दे रहे हैं।

इसके अलावा हम एग्रीकल्चर के लिए हर एससी, एसटी किसान को 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, वहां एक मिनट के लिए भी बिजली नहीं जा रही है। इसके अलावा हमारे राज्य में रायथु बंधु हर किसान को तेलंगाना राज्य में दस हजार रुपये फ्री दे रहे हैं। रायथु बीमा के तहत तेलंगाना सरकार पांच लाख रुपये प्रीमियम, यदि कोई राहत मांगे तो उसे पांच लाख रुपये दे रही है।

इसके अलावा 'कल्याण लक्ष्मी-शादी मुबारक स्कीम' लागू की गई है, चाहे कोई भी गरीब परिवार हो, उनके यहां शादी के समय हमारी सरकार 1,00,116 रुपये हर परिवार को दे रही है। मैं बीजेपी सरकार से पूछना चाहता हूं कि यदि ऐसी स्कीम्स पूरे देश में लागू की जाएं, तो देश में रहने वाले एससी और एसटी लोगों को आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी।

अंत में मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार भी ऐसी स्कीम्स पूरे देश में लागू करे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Hon. Vice-Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity. मैं पूरी शिद्दत के साथ इस बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। ...(व्यवधान)... नहीं, यह तीसरी बार है। मैं मंत्री जी को प्रसन्न और सजग देखना चाहता था। मंत्री जी झारखंड के सबसे मासूम और कद्दावर नेता हैं। ...(व्यवधान)... Having supported the Bill, सब इनकी मोहब्बत है, लेकिन मैं क्या कहूं, किन्तु कुछ चीजें जो मेरे सहयोगियों ने कहीं, मैं उन बातों को सामने रखता हूं, क्योंकि पार्लियामेंट में इन दिनों प्लैटफॉर्म नहीं बचा है कि कॉलिंग अटेंशन हो या कोई शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन हो।

महोदय, यदि आप गौर करें, तो बीते कुछ महीनों और वर्षों में कई सारी फेलोशिप्स खत्म कर दी गई हैं और उन फेलोशिप्स के खत्म होने का नतीजा क्या होता है, उसका प्रभाव सबसे ज्यादा इन वंचित वर्गों के ऊपर पड़ता है, जिनमें शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसी और अन्य जातियों के गरीब लोग होते हैं। ओवरसीज़ स्कॉलरशिप के बारे में मैंने खुद मंत्री जी को लिखा, कई दफा बातें उठाईं, एक छोटा सा तर्क है कि भारत की संस्कृति, भारत की जाति व्यवस्था को समझने के लिए हम विदेश में क्यों अध्ययन करेंगे? साहब यहां तो अध्ययन का माहौल ही नहीं है। सेकेंडरी सोर्स वहां काफी है। आर्काइवल मैटीरियल है और अगर आप इन चीजों से लोगों को महरूम कर रहे हैं, तो जाहिर है कि आपका रेटोरिक विश्व गुरु बनना, असल में आप विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर नहीं होना चाहते हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, I also thought of bringing in something which is very fundamental to our core discussion these days, and where DMK and Rashtriya Janata Dal share a uniform thread of unity. I believe very strongly that हमारे भाजपा के कई साथी भले ही सामने न कहें, परंतु उनके अंदर भी ये मनोभावनाएं गाहे-बगाहे जाग्रत होती रहती हैं। बीते दिनों ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, फैसला स्प्लिट था, स्प्लिट फैसले में कई संभावनाएं होती हैं, उसमें भविष्य के लिए कई प्रतिबद्धताएं छुपी हुई होती हैं। लेकिन हमारा आशय यहाँ दो चीजों से है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे इसलिए अपील कर रहा हूँ कि आपके अन्दर कम से कम इन वर्गों और समूहों के लिए, बावजूद कि ईकोसिस्टम आपके समर्थन में नहीं है, आपके अन्दर एक दर्द है। यह मैं कई वर्षों से जानता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अब इंदिरा साहनी जजमेंट या बालाजी जजमेंट रिडंडेंट हो चुका है, गैर-प्रासांगिक हो चुका है। चूँकि यह गैर-प्रासांगिक हो चुका है और सीलिंग की बात खत्म हो गयी, तो जब मंडल कमीशन वॉल्युमिनस डेटा के साथ आया था, तो 52 प्रतिशत

ओबीसी की आबादी तय की गयी थी। इस पीसमील लेजिस्लेशन की आपको जरूरत नहीं पडेगी। उस 52 प्रतिशत को सिर्फ 27 प्रतिशत में इसलिए मेहदूद किया गया, क्योंकि सीलिंग का मामला था, टोटल 49.5 परसेंट होना था। अब जब सीलिंग खत्म हो गयी है, hon. Vice-Chairman, Sir, immediately, the Government should go for 52 per cent reservation for OBC communities. Immediately! अगर आप डिनाई कर रहे हैं, तो आपकी मनसा, वाचा और कर्मणा में फर्क है। दूसरी बात, immediately go subsequently for caste-based census. सर, यह जातिगत जनगणना की कितनी आवश्यकता है, इस देश में इसके कई मिथक तैर रहे हैं। Myths have actually substituted history or even facts. इसलिए मैं कह रहा हूँ, हमारे दल की लगातार पोजिशन रही है, हमने सदन में रखा है, हमने बिहार में इस पर राज्य के स्तर पर कहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ कि भाजपा भी हमारे साथ है, अगर बिहार की भाजपा हमारे साथ है, तो देश की भाजपा क्यों अलग है? आप देश के स्तर पर जातिगत जनगणना में जाइए, ताकि यह पता चले कि यहाँ बाहर मूँगफली बेचने वाला कौन है, ट्रैफिक लाइट्स पर जो दिन में भारत के 10-20 झंडे बेचता है, वह बच्चा कौन है, किसका बच्चा है, उसकी पृष्टभूमि क्या है? जब तक आपके पास ये वैज्ञानिक आंकडे नहीं होंगे, तब तक आपकी नीति और नीयत दोनों में खोट रहेगी। हम विपक्ष में हैं, इसलिए ऐसा नहीं कह रहे हैं। हम चाहते हैं, हम आपको इलेक्टोरली हराना चाहते हैं, लेकिन हम आपको रिडिक्यूल नहीं करना चाहते हैं। हम आपको सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि अगर संविधान की शपथ ली है, तो प्रस्तावना की पंक्तियों के अनुकूल आप जातिगत जनगणना में फौरी तौर पर जाइए, तब तक ओबीसी के लिए 52 प्रतिशत आरक्षण सूनिश्चित कीजिए और अम्बेडकर साहब की मूर्ति पर जब माल्यार्पण कीजिए, तो कम से कम अम्बेडकर साहब की कुछ बातों को अंतर्मन में ग्रहण भी कीजिए। माल्यार्पण सबसे आसान क्रिया है, अंतर्मन में ग्रहण करने में आपकी बहुत सारी बाध्यताएँ, जो वैचारिकी से आती हैं, पश्चिम के एक नगर से, पश्चिम भारत के एक नगर से, वे दूर होंगी। जय हिन्द, सर, धन्यवाद।

श्री खीरू महतो (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का जो मौका दिया है, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ और अपने माननीय मुख्य मंत्री नीतीश कुमार जी का भी हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस सभा में भेजने का काम किया है।

महोदय, सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की सूची शामिल करने के लिए जो बिल लेकर आयी है, उसका मैं समर्थन करता हूँ। इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे जितने भी सदस्यों ने अपने विचार रखे, मैं उनका समर्थन करता हूँ। महोदय, दूसरी तरफ आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को मैं यह कहना चाहता हूँ कि चूँकि यह मामला अभी सामने आया कि उत्तर प्रदेश में कुछ जिलों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जा रहा है और कुछ जिलों को शामिल नहीं किया जा रहा है। हम तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करेंगे कि जब राज्य में किसी भी जाति को, किसी भी वर्ग को अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग में जहाँ भी शामिल किया जाए, तो पूरे राज्य में किया जाए।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इससे पहले हमारे झारखंड में भी बीजेपी की सरकार रही। वहाँ एक 'कमार' जाति है। 'कमार' और 'करमाली' दो जातियाँ हैं। 'करमाली' आदिवासी में है और 'कमार' पिछड़ी जाति में है। वहाँ संथाल परगना एक प्रमंडल है। हमारे

झारखंड में पाँच प्रमंडल हैं, जिनमें संथाल परगना भी एक प्रमंडल है। वहाँ की सरकार ने उस प्रमंडल के लिए उसको आदिवासी सूची में डाल दिया। हमने माननीय मंत्री जी से मिल कर इस पर अपनी आपित दर्ज कराई थी कि पूरे राज्य के लिए एक शेड्यूल बनना चाहिए, न कि एक प्रमंडल की सूची बननी चाहिए। इस बात को ध्यान में रख कर सरकार को काम करना चाहिए। कमार और करमाली, इन दोनों जातियों का आपस में शादी-विवाह होता है और अगर खितयान देखा जाए, तो एक गाँव की सीमा के दोनों तरफ अगर एक ही रैयत की जमीन है, तो एक में करमाली है और दूसरे में कमार है। जिसमें 'कमार' लिखा हुआ है, वह पिछड़ी जाति का हो गया और जिसमें 'करमाली' लिखा हुआ है, वह आदिवासी हो गया। सरकार इस तरह की स्थित बनाती है। अगर यह राजनीतिक तौर पर भी करती है, तो यह ठीक बात नहीं है। मेरी यह माँग है कि किसी भी जाति को पूरे राज्य में एक ही सूची में रखनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से यह माँग करता हूँ कि अगर किसी भी राज्य में इस तरह की स्थिति है, तो उसमें सुधार करके पूरे राज्य के लिए एक शेड्यूल बनना चाहिए, तािक लोगों को इसके कारण से कोई तकलीफ न हो। ऐसी स्थिति होने से यह होता है कि लोगों के मन में यह भाव आता है कि हम दोनों जातियाँ आपस में शादी, विवाह आदि सब कर रहे हैं, लेकिन हममें से एक जाति पिछड़ी जाति में है और एक जाति आदिवासी में है। मेरी यह माँग है कि इस तरह की स्थिति नहीं बननी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि झारखंड में घटवार जाति के लोग रहते हैं, वे भी बहुत दिनों से अपने को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे लोग यह चाह रहे हैं कि घटवार जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वहाँ के घटवार जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाए।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वहाँ पर कुर्मी जाति की जनसंख्या 22 प्रतिशत है। पश्चिमी बंगाल, झारखंड और ओडिशा राज्य में कुर्मी जाति आदिवासी की सूची में पहले से थी। वे लोग 1931 तक आदिवासी थे। उनको आदिवासी की सूची से बाहर कर दिया गया है। पटना हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट तथा ओडिशा हाई कोर्ट का यह आदेश है कि कुर्मी आदिवासी की सूची में है। झारखंड सरकार के द्वारा भी इस तरह की अनुशंसा करके यहाँ पर भेजी गई थी, लेकिन किस कारण से यह अभी तक नहीं हो पाया है, यह मुझे मालूम नहीं है। अगर कहीं कोई भूल हो गई हो, तो उसमें सुधार करके उसको आदिवासी की सूची में शामिल करना चाहिए।

महोदय, कुर्मी जाति को आदिवासी की सूची में शामिल करने के लिए पश्चिमी बंगाल, ओडिशा तथा झारखंड के सांसद, विधायक, मंत्री तथा लोग कल जंतर-मंतर में धरने पर बैठे हुए थे। माननीय मंत्री जी झारखंड के ही रहने वाले हैं, ये बहुत सीनियर हैं, मित्र हैं, बड़े भाई हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि पश्चिमी बंगाल, ओडिशा और झारखंड के कुर्मी को आदिवासी की सूची में शामिल करने की कृपा की जाए। अगर माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्री मोदी जी के पास इस लोकमहत्व की बात की जानकारी जाएगी, तो वे इसको जरूर आदिवासी की सूची में शामिल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you, Mahtoji. Yours is a maiden speech. You could have spoken for a longer time. Now, Shri Sandosh Kumar P.

SHRI SANDOSH KUMAR P (Kerala): Sir, I had a chance to take part in a similar kind of discussion soon after my entry to this august House. That was the 256th Session of the Raiya Sabha and the issue was almost same, the inclusion of a particular community to the list of STs. As you know, there are demands from various communities throughout the country for the inclusion in this particular list. But I think this august House and, especially, the Government should seriously think about the status of adivasis and dalits in this country, the plight of adivasis and dalits in this country. Will this inclusion, changing, shifting, exclusion alone help the upliftment of adivasis? This is the most important, in a way, million dollar question. So why am I raising this question once again? For example, kindly think about the nomadic tribes. You must be aware of the term 'denotified tribes'. In 1871, in the British India, the Britishers declared certain tribes as criminals and listed as notified tribes. Why were they notified? It was because they were in the fight against the Britishers. Soon after the Independence, it was in the year 1949 that one of the finest pieces of legislation happened in the Independent India which was denotification of these tribes. Now we have 11 crores of nomadic tribes, denotified class of tribes in this country. To substantiate my point, this is the data of 2011 Census. Do you have anything related to the status of nomadic tribes in this country? What about their rate of unemployment? Leave all other things, education, employment, everything, do you have anything related to the fundamental rights of these nomadic tribes which are more than 11 crores in this country? The Government should seriously think of it.

Secondly, as most of my fellow speakers have pointed out, unemployment, lack of educational facilities are also haunting the tribes in this country. So what do we need apart from other things? It is reservation in the private sector. Do you have any plan to introduce reservation in private sector? आप बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सब कुछ बोल रहे हैं, but do you have any real plan to get it implemented in the private sector? I think you don't have any plan.

Thirdly, there is the question of untouchability. In this country, even the Dalit Panchayat Presidents, *Sarpanchs* are facing the threat of untouchability. It is happening in almost all parts of the country except some States like Kerala, especially, in North India. This is not to blame my friends in North India, but you have to seriously think about this issue and try to change this situation.

Fourthly, as Prof. Manoj Kumar Jha had already demanded, we need a caste Census in this country because there are hundreds of castes with their own codes and everything. There must be a caste Census. Your move to introduce UCC will endanger the prospects of all these tribes and *dalits*. So what I demand--and it is the demand of my party also-- is that we need caste Census.

Finally, I would like to tell you that in Kerala, we have an institution called KIRTADS to study the details and make a scientific study about the status of dalits and tribes. It is only after a scientific study that we include a particular caste to that of Yes, of course, in Uttar Pradesh, there were long-pending demands, movements, everything was there, but you should conduct a scientific study. Without a proper study, you cannot include a particular tribe or group into another group. There must be anthropological study. Have you conducted any kind of anthropological study before changing this? It should not be a political slogan alone. There are demands from various parts of the country, as I told you, but in Kerala, the practice is that. Of course, this is happening in many parts of the country, dalits were converted to that, listed in the tribes list. There is nothing new in it. For example, the Mavilan community in Kerala was part of dalits and they were transferred to the list of tribes; it happened. It may happen in future also. But that was based on a scientific study. Do you have any kind of institution in Uttar Pradesh and other parts of the country to study it into detail?

It should not be just because of the political movement. So, these are the points which I want to make. And, with these cosmetic changes, this is not going to help the Adivasis and Tribes. I don't want to further elaborate other points because all my fellow speakers have spoken about these issues. So, kindly think about the Dalits and Adivasis very seriously. This should not be an election manifesto. This should not be just for cosmetic changes. That is what I would like to request.

श्री समीर उरांव (झारखंड): आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022 पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।

महोदय, जब देश के प्रधान मंत्री अपने उद्बोधन को शुरू करते हुए भगवान बिरसा मुंडा का जयघोष करते हैं, देश के आदिवासी समाज को भारत की आस्था, सभ्यता, संस्कृति और आज़ादी का बड़ा संरक्षक कहते हैं तथा भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिन को 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय लेते हैं, तब आदिवासी समाज के लिए सरकार की नीयत और नीति सभी के लिए स्पष्ट हो जाती है।

महोदय, स्वतंत्रता के बाद देश में नियमों के जाल से सर्वाधिक आदिवासी समाज को उलझाया गया। प्रत्येक राज्य में आदिवासी समाज की अलग-अलग समस्याएँ हैं। पहले की सरकारों ने आदिवासी समाज को गंभीरता से नहीं लिया और उनकी समस्याओं को भी नहीं सुना, बल्कि अगर देखा जाए तो पिछली सरकार ने उनकी मानसिकता को कुंठित करने का ही काम किया है। महोदय, अभी कांग्रेस के एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता फाइव स्टार होटल से खाना लेकर ...(व्यवधान)... सेवन स्टार होटल से खाना लेकर आदिवासी परिवार में जाकर सिर्फ उनके बर्तन का उपयोग करते हैं। लेकिन, मैं बताना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस के नेता हैं, वे फाइव स्टार होटल में रहते हैं और एक गरीब की झोपड़ी में रात्रि विश्राम करके ढोंग रचने का काम करते हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेता 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के साथ अगर आदिवासी परिवार में भोजन करने जाते हैं, तो वे पारंपरिक तरीके से बनाए गए उनके व्यंजन को ग्रहण करते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष, आदरणीय अमित शाह जी झारखंड के एक आदिवासी परिवार के यहाँ भोजन करने के लिए गए थे। माननीय अर्जुन मुंडा जी और मैं भी उनके साथ वहाँ गया था। उन्होंने वहाँ के पारंपरिक भोजन को जमीन पर बैठकर ग्रहण करने का काम किया है, उसका मैं साक्षी हूँ। आज हमारी सरकार आदिवासी समाज की सभी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनका समाधान करने की ओर बढ़ रही है। हम सब दिन-प्रतिदिन सुनते हैं कि आदिवासी समाज से संबंधित किसी न किसी योजना के माध्यम से सरकार उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है और उनके आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए गंभीरतापूर्वक कार्य कर रही है। मैं बताना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में भगवान बिरसा मुंडा जी जिस प्रकार गाँव-गाँव में जाकर गाँवों को सशक्त करने के साथ-साथ उनको आत्मिनर्भर और आत्मावलम्बी बनाने का कार्य कर रहे थे...उसी दिशा पर हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी आत्मिनर्भर, स्वावलम्बी बनाने के लिए हमारे गांव के लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से इस विधेयक के माध्यम से उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में गोंड समुदाय के लोगों को अनुसूचित जाति की श्रेणी से अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किए जाने का प्रावधान किया गया है।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में गोंड समुदाय के लोगों को नियमों के जाल में इतना उलझा दिया गया था कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी वे अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। महोदय, गोंड समुदाय मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में एक बड़े जनजाति वर्ग के रूप में स्थापित है। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में गोंड समुदाय के लोग रहते हैं, परंतु स्वतंत्रता के बाद इनको अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया। सबसे पहले वर्ष 2002 में स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गोंड समुदाय की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनका समाधान करने की ओर प्रयास किए।

उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में गोंड समुदाय के लोग अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में हैं, परंतु कुछ जनपदों में वे अनुसूचित जाति की श्रेणी में है। अब यदि किसी लड़की का विवाह उस जिले में हो जाता है जहां गोंड समुदाय अनुसूचित जाति में आता है, तो ऐसी स्थिति में उस लड़की के लिए पहचान का संकट खड़ा हो जाता है। महोदय, गोंड समुदाय उत्तर प्रदेश में ऐसी अनेकों समस्याएं झेल रहा है। अब माननीय प्रधान मंत्री जी ने गोंड समुदाय की समस्या को समझते हुए इस विधेयक के माध्यम से पिछले दिनों 13 जनपदों में अनुसूचित जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति में लाने का काम किया है। कुछ और जातियां इसमें शामिल हों, इसके लिए गोंड समुदाय की पांच उपजातियां धूरिया, नायक, ओझा, पथारी, राजगोंड आदि को इसमें शामिल करने का इस विधेयक में प्रावधान किया गया है, जिसके लिए मैं अपने देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी और जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी का आभार व्यक्त करता हूं।

महोदय, आज सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से देश का जनजाति समाज दिन-प्रतिदिन आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक उन्नित की ओर बढ़ रहा है। आज आदिवासी समाज के युवा शिक्षित हो रहे हैं और देश के निर्माण में अपना योगदान भी दे रहे हैं। देश के इतने बड़े वर्ग को पिछली सरकारों ने हमेशा शोषित, वंचित रहने के लिए छोड़ दिया था, किंतु आज जनजाति समाज की समस्याओं का समाधान हो रहा है। मुझे विश्वास है कि इसी प्रकार से सरकार जनजाति समाज के हितों की रक्षा हेतु कार्य करती रहेगी और आदिवासी समाज के हितों की रक्षा होती रहेगी। इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। ...(समय की घंटी)...

महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि वे आदिवासियों के हिमायती थे, उन्होंने ही आदिवासियों के लिए सब काम किए हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि अगर उन्होंने सब काम किए थे, तो अभी इन्हें करने की आवश्यकता क्यों हो रही है? महोदय, जहां आदिवासियों के क्षेत्र हैं, वहां खनिज सम्पदाएं हैं। इन लोगों ने वहां के लिए भी कुछ नहीं किया। इन्होंने जनता के लिए तो कुछ नहीं किया, साथ ही उनके साथ रहने वाले आदिवासियों के लिए भी इन लोगों ने क्या किया है - मैं झारखंड का उदाहरण देता हूं कि वहां एक मुख्य मंत्री बनाया गया और उसका इतना दोहन और शोषण किया गया कि उसे जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। अभी भी * ये कांग्रेस पार्टी के लोग आदिवासियों के साथ ऐसा व्यवहार करने का काम कर रहे हैं। ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Samirji, thank you very much. Don't rake up a controversy. Please conclude.

श्री समीर उरांव: आज आदिवासी समाज गौरवान्वित हो रहा है। ...(व्यवधान)... आज देश को आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी एक ऐसे प्रधान मंत्री मिले हैं, जो जनजातियों के सम्मान को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Samirji, thank you very much. You have spoken enough. The discussion is going on very well. It is a very important discussion. Don't rake up a controversy. Please sit down.

^{*} Expunged as ordered by the Chair.

श्री समीर उरांव: इसलिए मैं प्रधान मंत्री जी और अर्जुन मुंडा जी को आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं, धन्यवाद।...(व्यवधान)...

SHRI P. WILSON (Tamil Nadu): Sir, please expunge his reference to the Chief Minister....(Interruptions)....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Yes.

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Samirji has very good potential. He should be promoted to BJP hierarchy in Jharkhand.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): No suggestions, please. Shri M. Shanmugam.

SHRI M. SHANMUGAM (Tamil Nadu): Sir, I stand to speak on the Constitution (Scheduled Tribes) Orders (Second Amendment) Bill, 2022. Tribals are known as adivasi, vanavasi, nomadic, shepherd, primitive, pazhangkudiyinar etc. They are the original people and they are the first doctor, first dietician, first therapist, first weatherman, first protector of environment and forest. They are the people who are in sync with mother nature and learn to live with it. Even if you see their life style, it is always sustainability of the environment. Gandhiji said, "There is enough for everybody's need but not for everybody's greed." Now, we so-called civilized people call them as wild, uncivilized. But if you observe their life style, food habits, community, discipline, they are the most civilized people and we have to learn a lot from them. The hon. Minister of Tribal Affairs, Shri Arjun Munda, is himself a tribal leader and has brought this Bill. The State Government of Uttar Pradesh has requested to exclude Gond community living in the newly created districts of Sant Kabir Nagar, Kushinagar, Chandauli and Sant Ravidas Nagar from the list of Scheduled Castes and to include Gond, Dhuria, Nayak etc., living in the districts of these districts in the list of Scheduled Tribes. I fully appreciate the spirit of this Bill and support it. It should have been done long back, but it is better late than never. Sir, I urge upon the Government to see that caste based census should be published and reservation for SC, ST and OBC should be reworked. Even though the reservation for the SC/ST has been given for 70 years, but they have not reached equally in the society. Hence, never ever dream of abolishing reservations. In the same way, our Tamil Nadu Government headed by Thalapathi Thiru Stalin had requested to include Narikoravans along with Kuruvikaran communities in the list of ST. It is in respect of Tamil Nadu. Their case is long pending and the previous Government did not bother to take up that case. Our party, in the pursuit of social justice to the oppressed and depressed class has taken up their cause and recommended to the Union Government to give them ST status. I hope the hon. Minister would place it before this House for consideration and passing, once it is passed by Lok Sabha. Similarly, there are other nomadic tribals who migrated from their tribal belt for the last 100 years, for various purposes, like, to work for the Railway project or Defence project in romote areas. The State where they migrated, their community is not in the ST list, and hence they are not able to get community certificate. Instead, they are treated as forward community and denied all benefits meant for them. I would request the hon. Minister to examine such cases and they should be issued Community Certificate, so that they are not denied the benefits quaranteed by the Constitution. Thank you.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am very thankful to you for giving me this opportunity to participate in the discussion on this important Bill. I rise to support the Bill. But, at the same time, I wanted to bring certain facts to the notice of the hon. Minister.

Sir, this Bill seeks to remove certain Scheduled Castes from the List pertaining to the State of Uttar Pradesh and paves the way for including those castes in the List of the Scheduled Tribes. I welcome the move of the Government and also support the Bill.

Sir, I would like to draw the attention of the Government to the demand of Valmiki community i.e., Boya community living in Telugu-speaking States. This community people are in large numbers in the State of Andhra Pradesh after bifurcation of the State in 2014. As on date, Boya or Valmiki enjoy ST status only in certain areas in the State of Andhra Pradesh. Valmikis or Boyas living in other areas, which do not fall under the Tribal Development Agency, are denied this. So, their demand is to provide ST status throughout the State.

Sir, in 2017, Telugu Desam Party had passed a unanimous Resolution in this regard and sent the same to the Central Government with a request to provide ST status to Valmiki/Boya throughout the State. I would like to request the Government to take immediate steps for granting ST status to Valmiki/Boya community in Telugu-speaking States.

Sir, mere including certain communities in the ST list and giving the status is not sufficient. It is the duty of the Government to create infrastructure like drinking water, housing, hygienic conditions, healthcare, education, etc.

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): And, employment.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Employment comes after that.

Sir, without creating any infrastructure and mere giving ST status is of little use, because they are living in very pathetic conditions. I will give an example of the State of Andhra Pradesh. My senior colleague has already mentioned about the schemes being implemented by the present Government. But, unfortunately, the situation is pathetic in the State of Andhra Pradesh. Sir, SCs and STs are facing a lot of problems. They are living in pathetic conditions. Many villages have no infrastructure, even drinking water! Sir, if a pregnant woman wanted to go to a hospital for delivery, their relatives have to carry her 4-5 kms. from her Girijana Thanda i.e., tribal village!

SHRI PRABHAKAR REDDY VEMIREDDY: Sir, he is not speaking on the subject.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: So, they are facing so many troubles. The Government is not providing infrastructure and medical facilities. They have to be provided by the State Government. It is the State Subject and the State Government miserably failed to create such facilities.

Another major issue is this. We have to protect lands of STs. Sir, some of the lands belonging to tribals is being occupied by the ruling party leaders taking advantage of innocence of tribal people in the State of Andhra Pradesh.

SHRI PRABHAKAR REDDY VEMIREDDY: Sir, let him speak on the subject. He has to be serious on the subject.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Sir, there is an Act to protect tribal land. But, the State Government chose not to implement this Act! The reason behind is that the officers are in the hands of the ruling party.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Ravindra garu, you please speak on the Bill.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Yes, Sir. It is the subject with regard to the State of Andhra Pradesh.

Another important aspect is that the Central Government has allocated certain funds under the SC Sub-Plan to the State of Andhra Pradesh as has been given to other States. But, the Government of Andhra Pradesh totally diverted the funds. ...(Interruptions)... In order to substantiate my contention, the Member, National Commission for Scheduled Tribes, Shri K. Ramulu, visited the State of Andhra Pradesh and found that there was diversion of funds by the State Government from SC Sub-Plan.

SHRI PRABHAKAR REDDY VEMIREDDY: Mr. Vice-Chairman Sir, please ask him to stick to the subject. ... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Ravindraji, thank you very much. ... (Interruptions)...

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Sir, there are some other important issues. ...(Interruptions)... Under the ST Sub-Plan, the Government had allocated certain funds. From 2019 to 2021, the social welfare funds to the extent of Rs. 8,400 crores were diverted by the State Government, for other purposes, by issuing GOs and Memos contrary to the rules made by the Central Government. Likewise, Tribal Welfare Funds to the extent of Rs. 1,000 crores were diverted by the Government...(Interruptions)...

DR. JOHN BRITTAS: Sir, whatever the hon. Member is saying must be substantiated. On what basis is he speaking? ...(Interruptions)...

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Yes, there are GOs. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Mr. Ravindra, please listen to me. ...(Interruptions)... This Bill is on Tribals, but it pertains to Uttar Pradesh. ...(Interruptions)... So, please speak on that. ...(Interruptions)... In fact, your time is over. ...(Interruptions)... Please sit down; your time is over. ...(Interruptions)...

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Just last sentence, Sir. Our State is not in a position to give salaries even to the State Government employees. ... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): I call upon Shri Ajay Pratap Singh. ...(Interruptions)...

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: I request the Government of Andhra Pradesh not to divert the funds ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Shri Ajay Pratap Singh. Nothing else will go on record. ...(Interruptions)...

श्री अजय प्रताप सिंह (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आज सदन में संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022 प्रस्तुत हुआ है और मैं इसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस बिल का जो मज़मून है, वह पूरे तरीके से उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं, फिर भी मैंने इस बिल पर बोलने की इच्छा प्रकट की और मेरे नेतृत्व ने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं अपने नेतृत्व को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैंने इच्छा इसलिए प्रकट की कि उत्तर प्रदेश के जिन जिलों का जिक्र है, वे सब जिले मेरे पड़ोसी जिले हैं और इसलिए इस बिल का क्या महत्व है, इस बिल के माध्यम से क्या सामाजिक असर आयेगा, मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से समझता हूं।

यह बिल वैसे तो देखने में बहुत साधारण है, दो पंक्तियों का बिल है, लेकिन यह जितना छोटा बिल है, उसके पीछे का संघर्ष उतना ही लम्बा है, उतना ही बड़ा है। आखिर इस बिल को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस बिल को लाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जब उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ और उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ, तब उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजातियां लगभग समाप्त हो गयीं, क्योंकि उससे पहले जो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियां थीं, वे लगभग सारी की सारी अनुसूचित जनजातियां उत्तराखंड क्षेत्र से चिन्हित हुआ करती थीं। अनुसूचित जनजातियां समाप्त होने के कारण उत्तर प्रदेश विधान सभा में भी, जो उनका स्थान था, जो उनकी सीटें थीं, वे भी समाप्त हो गयीं। ऐसी परिस्थिति में उत्तर प्रदेश में रहने वाला जो गोंड समाज है, उसने अगुवाई सम्भाली, उसने संघर्ष किया, उसने सड़कों पर संघर्ष किया, धरने दिये, आंदोलन किया। उसने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और वहां से उसको न्याय मिला। इसका परिणाम यह हुआ कि गोंड जनजाति को उत्तर प्रदेश में भी जनजाति की मान्यता मिली और इसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश विधान सभा में दो सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हुईं।

4.00 P.M.

अब दूसरी समस्या यह हो गई कि जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, वे सामान्यतः मिर्जापुर और सोनभद्र के गोंड जनजाति के लोग थे। उनको सफलता मिलने के पश्चात्, जो उनके स्वजाति भाई थे, जो अन्य चार जिलों में भी निवास करते थे, अभी तक जिनका स्टेटस अनुसूचित जाति का था, उन्होंने भी यह कहना शुरू किया कि हम भी गोंड हैं, हमें भी अनसूचित जनजाति का स्टेटस दो। महोदय, इस बात के लिए इस बिल की आवश्यकता पड़ी और इस बिल में इसी का प्रावधान किया गया है कि गोंड जनजाति का जो रहवास क्षेत्र है, उसका विस्तार किया गया है कि केवल दो जिलों में गोंड नहीं रहते, बल्कि छह जिलों में गोंड रहते हैं, इसलिए उस अनुसूची के तहत इसमें छह जिलों को शामिल किया जाए। इसके साथ-ही-साथ जो अन्य जातियाँ थीं, जो कि वास्तव में जनजातियाँ हैं, उनके अंदर भी जागरूकता आई और उन्होंने भी कहा कि हमें भी अनुसूचित जाति वर्ग में से निकालकर अनुसूचित जनजाति वर्ग में सम्मिलत किया जाए और उसके लिए यह जो दूसरा प्रावधान किया गया है कि पाँच जातियाँ, जिनका इस बिल में उल्लेख है, जिनमें नायक है, धूरिया है, पथारी है, एक-दो जातियाँ और हैं, उन जातियों को भी अनुसूचित जाति वर्ग में से निकालकर अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल किया गया और उनका विस्तार भी इन सभी छह जिलों में स्वीकार किया गया। इस बिल का प्रमुख रूप से यह मज़मून है।

मान्यवर, केवल इतना भर ही नहीं हो रहा है, बल्कि इस बिल का प्रभाव राजनीति के साथ-साथ समाज पर भी पड़ रहा है। अभी दो विधान सभा सीट्स आरक्षित हैं। हो सकता है कि सारी जातियों के सम्मिलित होने के पश्चात् इनका विधान सभा में और प्रतिनिधित्व बढ़े, हो सकता है कि आने वाले दिनों में एकाध लोक सभा सीट भी अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए उत्तर प्रदेश में आरक्षित हो जाए। जिस दिन यह परिस्थिति निर्मित होगी, उस दिन कुछ और जनजातियाँ हैं, जो मेरी नज़र में हैं, जिनका मैं उल्लेख भी कर सकता हूं, जैसे खैरवार जाति है, अगरिया जाति है, ये भी वास्तव में जनजाति वर्ग के हैं, लेकिन अभी अनुसूचित जाति वर्ग में सम्मिलित हैं। हो सकता है कि भविष्य में ये जातियाँ भी क्लेम करें कि हमें अनुसूचित जाति वर्ग में से निकालकर अनुसूचित जनजाति वर्ग में सम्मिलित करो, तब उनको भी न्याय मिलेगा, क्योंकि मोदी सरकार न्याय के लिए ही प्रसिद्ध है। इसका दूसरा असर यह पड़ेगा कि जो वन अधिकार अधिनियम है, उस वन अधिकार अधिनियम के तहत यह प्रावधान है कि 2005 से पहले जो जनजातियाँ वन क्षेत्र में निवास करती हैं, उनको वनाधिकार अधिनियम के तहत पट्टा पाने का अधिकार है, जमीन का स्वामित्व पाने का अधिकार है। अभी तक ये अनुसूचित जाति वर्ग में थे, इसलिए वनाधिकार के दायरे में नहीं आते थे, लेकिन अब, जब ये अनुसूचित जनजाति वर्ग की श्रेणी में सम्मिलित हो गए हैं, तो सारी की सारी जातियाँ, जो वन क्षेत्र में निवास करती हैं, वहाँ पर काबिज़ कास्ट हैं, इसके होने के कारण अब उनको वनाधिकार अधिनियम का लाभ मिलेगा और इसके माध्यम से, जिन जंगलों पर वे एक लंबे समय से अपना स्वामित्व रखे हुए थीं, उसका भी वैधानिक रूप से अधिकार प्राप्त हो जाएगा।

दूसरा विषय, जो मैंने इन जनजातियों के लिए बोलने हेतु विशेष रूप से चुना है, उसके पीछे कारण यह है कि जिस तरीके से यह समस्या है, उसी तरीके से एक और समस्या हमारे मध्य प्रदेश क्षेत्र में भी है। हमारे श्री समीर उरांव भी बहुत सही बात कह रहे थे कि यह जो समाज का वर्ग है, यह बहुत सेंसिटिव वर्ग है। यद्यपि हमारे भारत में छुआछूत और ऐसा दुराव एक बुराई के रूप में

है और यह सभी वर्गों में है, इसके कारण लोग बड़ा नाप-तौलकर व्यवहार करते हैं और इसका असर भी समाज पर पड़ता है। हमारे मध्य प्रदेश में भी कई जातियाँ ऐसी हैं कि नदी के इस पार उनका स्टेटस दूसरा है और नदी के उस पार दूसरा स्टेटस है, जैसे कि मैं पनिका जाति की बात करता हूं। यदि नर्मदा नदी के दक्षिण में चले जाइएगा, तो पनिका जाति पिछड़े वर्ग में है, लेकिन यदि नर्मदा नदी के उत्तर में आ जाएइगा, तो पनिका जाति इधर जनजाति वर्ग में है। हमारे रीवा, शहडोल संभाग में आ जाइएगा, तो प्रजापति अनुसूचित जाति में सम्मिलत है और यदि इसके बाहर चले जाइएगा, तो यह सामान्य वर्ग में आ जाती है। मान्यवर, ऐसी अनेक जातियाँ हैं और यह स्थिति लगभग सभी प्रांतों में है। महोदय, इस बिल के माध्यम से - यद्यपि हम अभी उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकार एक बड़े पैमाने पर जो इस तरह की विसंगति है - जो परस्पर शादी-ब्याह करते हैं, जिनके परस्पर रक्त संबंध हैं... जिनका परस्पर खान-पान है, ऐसी जो विसंगतियां हैं, उन समाजों को चिन्हित करके एक साथ लायें, जिससे कि उनका जो सामाजिक ताना-बाना है, वह भी दुरुस्त रहे और उनको जो प्रशासनिक और राजनैतिक संरक्षण चाहिए, जो प्रशासनिक और राजनैतिक संरक्षण चाहिए, जो प्रशासनिक और राजनैतिक आरक्षण चाहिए, उसका भी वे लाभ ले सकें।

मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. L. HANUMANTHAIAH (Karnataka): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for giving me this opportunity.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY) in the Chair.]

Sir, this Bill is pertaining to Uttar Pradesh, and the important thing which I wanted to ask the Minister is, why are you removing it from the Scheduled Caste List and putting it to Scheduled Tribe List. What are the reasons? Sir, if there are reasons that this fit-in in Scheduled Tribe List is better than Scheduled Caste, then there are so many communities in the List of Scheduled Castes across the country and in the List of Scheduled Tribes across the country which have to be looked into. That is what my request is. Sir, you have to do that during your period.

Number two is, this Government wanted to strengthen the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I have been hearing from a lot of Members that a lot of measures have been taken by this Government that they wanted to be strengthened and they should be given more facilities as not being given all these years.

Sir, my first question is, if that is a fact, there is a provision in the Government. In the year 1975, the Planning Commission had suggested that the budgetary allocation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has to be given, has to be made available as per their population; and why the Government of India is not making up its mind to bring a law to make provisions of the budgetary allocations as

per the population of Scheduled Castes and Scheduled Tribes? If that is done, Sir, I wanted to tell you, the budgetary allocation, which is now being given to them, will be three-times more than what you are giving now. I think that is the major step a Government can take to strengthen the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. It is not just making them into the List of Scheduled Castes or in the List of Scheduled Tribes. If a community comes into that, they will not be strengthened; their problems will not be solved. You cannot solve their problems. Please allow the budgetary allocations to those people. Then only you can strengthen them. That is what my first demand is.

Sir, in the whole country, there are only two States which have made this law. One is Andhra Pradesh and the second is Karnataka, that is, SCP and TSP, Special Component Programme for Scheduled Castes and Special Component Programme for Scheduled Tribes. These two provisions have been made in Andhra Pradesh and Karnataka, and, on account of that, the budgetary allocation in Karnataka per year has been increased from Rs. 20,000 crores to Rs. 29,000 crores. Sir, during the Congress period, between 2013 and 2018, the total amount spent on Scheduled Castes and Scheduled Tribes was Rs. 89,000 crores which had not happened in the past, and no other State in the country, including the Government of India, is spending so much of money according to their population as per the provisions of the law.

Through you, Sir, I would request the Government to initiate the Special Component Programme so that increased budgetary allocations are made for these communities. That is the first part. Secondly, I would like to know the reasons behind the recent decision of the Central Government to stop the pre-Metric scholarship for marginalized communities like SC, ST, OBCs and minority communities. Education is the basic element with which you could strengthen them. Unless you make provisions for education, no other initiative would help them. Education would make them respectable citizens. Only then would they become the real citizens of this country. Unless you strengthen them educationally, no other facilities that you give them would help them much. Only then can they become respectful citizens of this country. That is important. Despite free education, scholarships are essential because they are the real incentives. In many States, incentives are given for primary education, where Scheduled Caste and Scheduled Tribe boys and girls go to schools. Even today, inspite of all these initiatives, 25 per cent of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe boys and girls are away from the schools; they do not attend schools. What are the reasons? The Government has to take note of this and bring in these kinds of initiatives. Only then can we strengthen them.

Sir, the other important issue that the Government must take up is to try and stop the atrocities being meted out to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. After this Government came into power, as per the National Crime Records Bureau, atrocities on Scheduled Castes and Scheduled Tribes have increased. increased by about seven per cent. In 2017, 47,911 cases of atrocities were reported. In 2019-20, it has gone up to 30.7 per cent. Sir, the National Crime Records Bureau, again, says that the pending cases of atrocities on dalits is 96.5 per cent. What are we going to do about this? There are 96.5 per cent cases of atrocities on dalits pending in various courts. Some States have made fast-track courts. In spite of that it is not being solved and the atrocities have not reduced. Instead it has increased. Sir, I must give you some examples of the kind of atrocities meted out to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in this country. In the Bulandshahar district of Uttar Pradesh, in 2017, a dalit woman and her unborn child were killed by an upper caste woman just because she was defiling in a bucket. This was the reason. A dalit youth was assaulted by upper caste men and forced to abuse Dr. B.R. Ambedkar in Meerut in July, 2018. In 2021, two minor dalit boys were tied to a tree and thrashed mercilessly in Lakhimpur Kheri by an upper caste man as punishment for plucking some fruits from his property. ...(Interruptions)... What is the problem? ...(Interruptions)... I think you are not in a position to understand what the effect of this is. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Please address the Chair.

DR. L. HANUMANTHAIAH: You are not in a position to understand, what can I do for that? ... (Interruptions)... I am sorry, it is your problem. ... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Hanumanthaiah ji, please address the Chair.

DR. L. HANUMANTHAIAH: You want to bring a law for Scheduled Tribes and when their community is punished, you enjoy it. That is the problem. We bring law in the Parliament; we bring law in States, but they have been thrashed, killed and raped, and the Government is silent on that. Is it not a shame on our part? That is what I am talking now. That is what the sense I am talking about. The Government has to take

some measures. Just making and passing laws will not solve the problem unless they take measures. Therefore, I demand that a caste census has to be done by the Government of India. You have to take the situation into consideration. Everybody is quoting Dr. Ambedkar that only for ten years, reservation has to be there. It is a wrong notion. What Dr. Ambedkar said then was this: You have to review the reservation implementation after ten years each, and you have to find out whether they have come to the mainstream of the society at par with other communities. If it is not so, then you have to continue with it. But if that is achieved, you may not continue the reservation. But what is happening today? In almost all the fields, we have made reservation as vote bank. Cutting across political parties, I can tell you that it has become vote bank and we are extending it without reviewing what is happening in the country. I just want to bring it to your kind notice one more important thing. *leaders have committed atrocities on dalits. I must quote this. It is the ruling party in the country; it is in the State as well; it is a double-engine Government. But how the leaders of that party are behaving is an important thing for people like me. I must tell you that they call themselves double-engine Government. Fine! I don't say, 'No'. But how are the leaders of that double-engine party behaving? I must give you an example. A local * leader called * in Balrampur was booked for thrashing a dalit Gram Rozgaar Sevak. ... (Interruptions)... He was booked....(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): No. ...(Interruptions)... Dr. Hanumanthaiah, you know the rules. You cannot name anybody who is not a Member of this House. He or she cannot defend himself or herself. Therefore, don't say the name of the party and the person.

DR. L. HANUMANTHAIAH: Sir, I will withdraw the name of the person, but that is a fact....(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): And also the party.

DR. L. HANUMANTHAIAH: I can give one more example. I may not quote that name, but he is leader of some ruling party. I will not even quote the name of the party. He is a ruling party leader. I want to tell you as to what he did. He is accused of

-

^{*} Not recorded.

assaulting a *dalit* journalist called * who is also not a Member of this House. ...(Interruptions)... The fact remains. He was assaulted. The hon. Minister has to listen to this. The cases of crimes against Scheduled Tribes were 8,272 in 2020. ...(Interruptions)..

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल (उत्तर प्रदेश): सर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय) : आपको अगर कोई प्वाइंट ऑफ ऑर्डर उठाना है, तो रूल के मुताबिक ही उठाना पड़ेगा।

कई माननीय सदस्य : पहले आप रूल बताइए। कौन सा रूल है?

DR. L. HANUMANTHAIAH: Let him rise under the rule. But let me complete. Afterwards, you can examine it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): I am on the Chair. ...(Interruptions)...

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, किसी महिला का नाम लेना और यह कहना कि वह उस घटना की शिकार हुई, यह कहां तक उचित है? यहां पर इस तरह किसी महिला का नाम नहीं लिया जा सकता।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): I will verify the records. ...(Interruptions)...

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: सर, किसी महिला का नाम नहीं लेना चाहिए। ...(व्यवधान)... मैं यह कह रहा हूं कि किसी पीड़ित महिला का नाम लेना पूरी तरह से अनुचित है, फिर इसके लिए नियम की क्या जरूरत है? ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय) : मेरा कहना है ...(व्यवधान)...

प्रो. मनोज कुमार झा : इन्होंने नाम नहीं लिया।

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल : नाम लिया है। ...(व्यवधान)...

-

^{*} Not recorded.

DR. L. HANUMANTHAIAH: No, Sir. I have not taken the name. ... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): There is no question of any debate. ... (Interruptions)... We shall verify the records and if it is found, it will be expunged.

DR. L. HANUMANTHAIAH: Sir, I must bring to the notice of the hon. Minister the fact that atrocities on Scheduled Tribes have increased from 9.3 per cent to 14 per cent. There were only 8,272 cases in 2020, which in 2021, increased to 8,802. These cases are increasing year by year. Sir, we are including many communities in the lists of Scheduled Tribes; we are increasing their facilities. We are all happy for that. We are definitely supporting such Bill. But the Government must take measures to reduce the atrocities on these unfortunate communities. If we do not do that, if we do not protect them, if we do not help them and strengthen them by way of budgetary allocations by the Government, what is the point in including them in the lists of Scheduled Caste, Scheduled Tribe or Other Backward Classes? What is going to happen? Please look into that. Then only this law will have some meaning, and, for us, in passing this Bill, we will have some decorum and decency. Thank you very much, Sir.

DR. M. THAMBIDURAI (Tamil Nadu): Respected Vice-Chairman, Sir, first of all, I thank you for giving me the opportunity to speak on the Bill introduced by the hon. Minister. Sir, this Bill seeks to include Gond tribe in Scheduled Tribes list in certain Districts of Uttar Pradesh.

Sir, I would like to make it clear that reservation policy was first introduced by Tamil Nadu. Tamil Nadu is the pioneer as it set an example for other States and the Union Government. Thanthai Periyar, our forefather, was the man, who fought for the reservation for the oppressed classes, scheduled castes, scheduled tribes and other backwards classes. He never bothered about the vote bank. Hon. Members mentioned that reservation is done for vote banks. It is not like that. In Tamil Nadu, only for social justice, the Dravidian Movement fought for reservation. Sir, in 1927, in Madras Province Dr. Subbarayan was the Chief Minister of the State. At that time, when Justice Party was ruling, for the purposes of social justice, reservation was first introduced in Tamil Nadu, and, an example was set for others. Only after that, the other State Governments and the Union Government did it. Therefore, the Dravidian Movement was its architect, and, supporting the oppressed and backward classes, dalit people is our motto. Therefore, Sir, if somebody criticizes Dravidian Movement,

I oppose that, and, it happened recently. Dravidian Movement is the only... ... (Interruptions)... I am telling that (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): No side talks please. Allow the hon. Member to speak.

DR. M. THAMBIDURAI: Social justice is the most important thing for development of the country. Without social development, there cannot be any economic development of any country. That is our motive.

Secondly, Sir, in Tamil Nadu, we introduced 69 per per cent reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes and others. This was done during the period of my leader Puratchi Thalaivi MGR. At that time, 69 per cent reservation was given. Afterwards, our leader, Madam Jayalalitha, when she became the Chief Minister, she passed a Resolution in the Assembly and also brought it to the Parliament, to see that it is included in the 9th Schedule of our Constitution. We made it 69 per cent in Tamil Nadu and set an example for other States for reservation that has to be done.

My next point is regarding tribal people. We have to include them. There has been a long-pending demand from Tamil Nadu to include Narikuravas and Kuravars in the list of Scheduled Tribes. That has been a long-pending demand. Recently, the Tamil Nadu Government also sent a Resolution requesting for the same. Not only the present Government, but previously also, our AlADMK Government went on insisting that these communities have to be included in Scheduled Tribes as they are tribal people. I think the Government will consider bringing them in Scheduled Tribes.

Regarding what our hon. MP from Andhra said, the Valmiki community and the Boyar community are Scheduled Tribes in Karnataka, but in Tamil Nadu they are Backward Classes. We have been demanding for a long time that not only the Valmiki community and the Boyar community but the Badaga community in Ooty area also should be included in Scheduled Tribes. This is what we have been requesting. Some people may have been developed economically, but we have been asking for giving them social justice, for giving them some kind of status. When you have included so many communities in Scheduled Tribes, why are you not considering when the State Government of Tamil Nadu is sending you requests? That is our worry, Sir. Whatever requests the State Government is sending, that should be taken into consideration. This is a federal system. Our Modi ji is always for cooperative federalism. He is praising that. In such a situation, I am saying that when he is for

that, whenever a State Government sends a request, please try to consider the same. Whatever Modi ji dreams, that has to be fulfilled. I am requesting for that.

Sir, when we are making reservation, as hon. Member Hanumanthaiah ji said, still so many atrocities are taking place on the oppressed classes. That is a fact. There are some people who are some kind of dons or some kind of rich people who still want to oppress these people. This is a very serious matter. Government or that Government, we have to take this matter very seriously when the oppressed people are given such kind of treatment. It has to be the duty of the Parliamentarians to see that not only the laws are made but they are also implemented strictly. We have to see that social justice is given to these people. ...(Interruptions)... I don't want to take much of your time. My humble request is whatever we are discussing here, it has to come practically also because, as our hon. Member has said, only for namesake, making reservation and all that will not help. We have to create facilities and see that the laws are implemented properly. As Hanumanthaiah ji said, it has to be taken into consideration whether we have really benefited these people or not. Therefore, once again, I am requesting the hon. Minister to consider the demand of the Tamil Nadu people and include the Valmiki community, Boyar community, Badaga community, Narikurava community and Kuravars community into the Scheduled Tribes. Thank you, Sir.

श्री ज्रगलिसंह लोखंडवाला (गुजरात) : उपसभाध्यक्ष महोदय, इस अनुसूचित जाति और जनजाति बिल पर मैं अर्जुन मुंडा जी का समर्थन करता हूँ। इस महत्वपूर्ण बिल पर मैंने काफी सारे सदस्यों की बातें सुनीं। मुझे लगता है कि इस महत्वपूर्ण बिल पर हम सबको साथ देना चाहिए, क्योंकि कई जातियों को हम लोगों ने काफी सालों से, मतलब आज देश की आज़ादी का 75वाँ साल, 'अमृत काल' चल रहा है, लेकिन आज की तारीख में भी हम लोग उन समुदायों को साथ लेकर नहीं चल रहे हैं। अपोज़िशन जिस तरह की टीका-टिप्पणी और जिस तरह बात करता है कि उस समय के दौरान उसने क्या किया, तो ये जो ट्राइबल समुदाय हैं, इनको न तो शिक्षा, न बिजली, न पानी और न ही कोई सुविधा उन लोगों ने दी थी और आज लोकतंत्र के इस मन्दिर के अन्दर ये बड़ी-बड़ी बातें करते हैं! उनको मालूम नहीं है कि इसको पूरा भारत देख रहा है और दुनिया भी देख रही है कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं। उनके हित के लिए जो बात करनी चाहिए, आप वह नहीं करते हैं, बल्कि दूसरी-दूसरी बातें करके लोकतंत्र के मंदिर का टाइम खराब कर रहे हैं। ...(व्यवधान)... माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी की सरकार में माननीय मंत्री अर्जून मुंडा जी यह विधेयक लेकर आए हैं। उन्होंने इसमें बताया है कि यूपी के छः जिलों की जो ट्राइब्स हैं, चूँकि उनको न्याय मिलना चाहिए, इसलिए उनको ट्राइबल समुदाय में शामिल करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि इतनी सारी चर्चाएँ होने के बाद भी गलत ट्रैक पर जाकर गलत बात क्यों बतायी जाती है? इसको पूरा भारत देख रहा है। मैं इतना ही कहूँगा कि हम इसको सर्वसम्मति से पास करें। जिन लोगों को 75 साल के बाद भी न्याय नहीं मिल रहा है - आज की तारीख में वहाँ न सड़क है, न पानी है, न बिजली है, इसके माध्यम से उस समुदाय को भी न्याय मिले, उनको भी शिक्षा मिले, उनके बच्चे भी पढ़ें और आगे जाएं। महोदय, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, धन्यवाद, जय हिन्द!

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय) : डा. फौजिया खान जी।

डा. फोजिया खान (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के पिछड़े समाजों को न्याय देने के लिए लाये गये इस विधेयक का स्वागत करती हूँ। सर, हर पिछड़े समाज को, अगर वह सामाजिक, शैक्षणिक तौर पर पिछड़ा हो, तो उसको न्याय मिलना ही चाहिए। यहाँ पर बार-बार 'सबका साथ, सबका विकास' की बात की जा रही थी। 'सबका साथ, सबका विकास' होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से जितनी जातियों के नाम यहाँ पर लिए गए, उससे यह ज़ाहिर होता है - सम्माननीय सदस्यों ने अनेक जातियों के नाम लिए, जो अभी भी इन सुविधाओं से वंचित हैं - इससे यह दिखता है कि आज भी दूर-दराज में ऐसे समाज मौजूद हैं, जिनको न्याय मिलने की आवश्यकता है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में धनगर समाज कई वर्षों से न्याय के लिए वंचित है। कहा जाता है कि धनगड़ और धनगर, ये दोनों एक ही समाज है। महाराष्ट्र में इसको धनगर कहा जाता है तथा अन्य जगहों पर इसको धनगड़ कहा जाता है। सिर्फ एक अक्षर की वजह से यह बात रह गई है और कई वर्षों से यह समाज इस सुविधा से वंचित है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, एक सम्माननीय सदस्य ने यहाँ पर कहा कि नियमों के जालों में अटका हुआ विषय, यह विषय उसी तरह से नियमों के जालों में अटका हुआ है। एक अक्षर के कारण महाराष्ट्र के इतने बड़े समाज को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? उपसभाध्यक्ष महोदय, एक बहुत अच्छा शेर है, जिसको मैं यहाँ पर कह रही हूँ:

"रहे दो दो फ़रिश्ते साथ, अब इंसाफ़ क्या होगा। किसी ने कुछ लिखा होगा, किसी ने कुछ लिखा होगा।"

उपसभाध्यक्ष महोदय, बात इसी तरह से अटकी हुई है। चरवाहा समाज, जो जानवर चराता है, जो पहाड़ों में, दूर-दूर इलाकों में जानवर चराने का काम करता है, मुझे तो लगता है कि अब वह उस व्यवसाय में 5 फीसदी भी नहीं रह गया है। बाकी लोग उस व्यवसाय से भी दूर हो गए हैं। कहीं न कहीं इसको सुविधा तो मिलनी चाहिए, लेकिन ये जो नियमों का जाला है, इसको दूर करने का काम आसानी से संसद में हो सकता है। संसद को हर चीज़ का अधिकार है। जो कोर्ट के निर्णय हैं, जिनकी वजह से कहा जाता है कि 50 फीसदी आरक्षण की मर्यादा है, उसे दूर करने का काम भी संसद में हो सकता है और मुझे लगता है कि यह होना भी चाहिए, क्योंकि धनगर समाज को अनेक वादे किये गये, अनेक सपने दिखाये गये, महाराष्ट्र में भी अनेक वादे किये गये। हर बार कहा जाता है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, वैसे ही हम पहली कैबिनेट में यह प्रस्ताव लाएंगे,

लेकिन अब इसे भी कई बरस हो गये हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, धनगर समाज की व्यथा तो इस तरह होगी -

"तेरे वादे पर जिये हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतिबार होता।"

महोदय, किस तरह एतबार करें? हम बात तो सबके साथ, सबके विकास की करते हैं, लेकिन अगर इतने हज़ारों समाज वंचित हैं, तो कहीं न कहीं हमें इस बात पर विचार करना चाहिए। *"अंत में उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरी केवल यही मांग है कि आप धनगर समाज को न्याय दिलाएं। यह कहते हुए कि किसी अन्य समुदाय के आरक्षण को प्रभावित किए बिना धनगर समुदाय को अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का लाभ दिया जाए, यही बात कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करती हूँ। धन्यावाद।"

کو سماجوں پچھڑے کے اتر پر دیش میں، مہودے ادھیکش سبھا آب: (مہار اشٹر) خان فوزیہ رڈاکٹ وہ اگر ،کو سماج پچھڑے ہر ،سر ہوں۔ کرتی سُواگت کا وِدھیک اس گئے لائے لیے کے دینے نیائے کاسب' بار بار پر یہاں چاہیئے۔ ملناانصاف کو اس تو ،ہو پچھڑا پر طور شیکشک ساماجک، جس لیکن ،چاہئے ہونا وکاس کاسب ،ساتھ کاسب' تھی۔ جارہی کی بات کی وکاس کاسب ،ساتھ سے اس ہیں۔ وَنجِت سے سُویدھاؤں ان بھی ابھی جو ،گئے لیے پر یہاں نام کے جاتیوں جتنی سے طرح آوشیکتا کی ملنے نیائے کو جن ،ہیں موجود سماج ایسے میں دراز دور بھی آج کہ ہے دکھتا یہ

وَنَچِتَ لیےکے نیـائےسے سـالوں کئی سماج دھنگـر میں مہار اشـٹر ،مہودے سـبھاادھیکش اُپ کو اس میں مہار اشـٹر ہے۔ سماج ہی ایک دونـوں یہ ،دھنگـر اور دھنگـڑ کہ ہے جاتـا کہا ہے۔ صرف ہے۔ جاتـا کہا دھنگـڑ کو اس پرجگہوںدوسری اور ہے جاتـا کہا دھنگـر

ہے۔ ونچتسے سہولیت اسسماج یہسے سالوں کئی اور ہے گئی ہربات یہسے وجہ کھرف ایک میں جالوں کے نیموں کہ کہا پر یہاں نے سدسئیے سمانئیے ایک،مہودے سبھاادھیکش اُپ سے وجہ کعحرف اس ہے۔ ہوا اٹکا میں جالوں کے نیموں سے طرح اسی وشے یہ وشے، ہوا اٹکا ایک،مہودے سبھاادھیکش اُپہے؟ رہا مل نہیں کیوں نیائے کو سماجبڑے اتنے کے مہار اشٹر ے بی کہہ پر یہاں میں کوچس ہے شعر اچھا بہت

،ساتھ فرشتے دو دو رہے'' ہوگا۔ کیا انصاف اب ،ہوگا لکھا کچھنے کسی ''ہوگا۔ لکھا کچھنے کسی

جانور جو ،سماج چرواہا ہے۔ ہوئی اٹکیسےطرح اسیبات،مہودے سبھاادھیکش اُپ تو مجھے ،ہے کرتا کام کا چرانے جانور میں علاقوں دور دور ،میں پہاڑوں جو ،ہے چراتا

_

^{*} Hindi translation of the original speech delivered in Marathi.

[†] Transliteration in Urdu script.

کاروبار اسلوگ باقی ہے۔ گیا رہ نہیں بھیفیصدی پانچ میں کاروبار اس وہ اب کہ ہے لگتا جالہ کی نیموں جو یہ لیکن ،چاہیے ملنی تو سُویدھا کو اس کہیں نہ کہیں ہیں۔ ہوگئے دور بھی ہے۔ ادھیکار کا چیز ہر کو سنسد ہے۔ ہوسکتا میں سنسدسے آسانی کام کا کرنے دور کو اس ،ہے مریادا کی آرکشنفیصدیپچاس کہ ہے جاتا کہاسے وجہ کی جن ،ہیں فیصلے کے کورٹ جو ہونا ہی کہ ہے لگتا مجھے اور ہے ہوسکتا رہی مسنسد یبھ کام کا کرنے دور اسے ،ہے ،گئے دکھائے سینے ،گئے ےیک وعدے یکئ سے سماج دھنگر کہ وریک ،ےیچاہئ سرکار یہمار یہ سے یج کہ ہے جاتا کہا بار ہر گئے ےیک وعدے یکئ عبھ ریم مہار اشٹر کی عبھ اسے اب کنی کی ،گلے ری لائ پرستاؤ ہی رہی ٹیبنیک یپہل ہم یہ سے یو ،یگ آئے میہوگ طرح اس تو تھایو یک اجسم دھنگر ،مہودے کشیادھ سیبھا آپ ری ہ ہوگئے برس جانا جھوٹ جان ہی تو ہم ئے یج پر وعدے ترے"

"بوتا اعتبار گر ہم جاتے نہ مر سے یخوش کہ

श्री जयंत चौधरी (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, आज सभी दल के नेताओं ने इस बिल पर अपनी भावना व्यक्त की है। यह चीज़ काफी रेअर है कि सब लोग इस कानून को लेकर आपके सहयोग के लिए खड़े हुए हैं। मैं भी इस बिल का पूरा समर्थन करता हूँ, लेकिन मैं आपको चेताना भी चाहता हूँ।

मंत्री जी, आप खुद बहुत संवेदनशील हैं, सामाजिक न्याय के विषय को लेकर गंभीर हैं, इन बारीकियों को अच्छी तरह समझते हैं। यहाँ पर कई सांसदों ने अपनी चिंता जाहिर की, अपने प्रदेश की बात की। उस तरफ से एक माननीय वरिष्ठ सांसद ने बताया कि नदी के एक छोर पर एक जाति का दर्जा दूसरा होता है और नदी के दूसरे छोर पर उस जाति का दर्जा दूसरा होता है। अभी वरिष्ठ सांसद फौजिया जी ने धनगर समाज की बात की। इसी समाज की उत्तर प्रदेश में भी माँगें हैं। 'र' और 'ड़' एक व्यंजन के चक्कर में पूरे समाज को, पूरी जाति को रोका गया है। ...(व्यवधान)... आप दूसरी जाति की बात कर रहे हैं। यह बिल बहुत सरल है। यह नौबत क्यों आई कि चार जिलों में एक जाति को अनुसूचित जाति से हटाकर अनुसूचित जनजाति में जोड़ना पड़ा? मैं चाहता हूँ कि मंत्री जी और बड़ा दिल दिखाएं और हिम्मत से काम लें। ऐसे मौके बार-बार नहीं आएंगे, जब पूरा सदन आपके सहयोग में खड़ा हो। ऐसी कितनी ही जातियाँ हैं, कितने ही विषय हैं, जो सरकारी जाल में फंसे हुए हैं, आप इसका आकलन कीजिए, सर्वेक्षण कीजिए।

महोदय, मैं कोल जाति की बात करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में कोल समाज के लगभग साढ़े सात लाख लोग विराजमान हैं, पूर्वांचल के कई जिलों में विराजमान हैं, जैसे मिर्जापुर, सोनभद्र और कौशांबी में हैं। बुन्देलखण्ड के कई जिलों में कोल समाज है और उनकी भी यही माँग है कि हम आदिवासी लोग हैं, हमारे पूर्वज शबरी जी थे, हम जंगल में रहते हैं, भूमिहीन हैं, हमें वंचित रखा जा रहा है और हम जनजाति की इस श्रेणी में आना चाहते हैं। वर्ष 2002 में प्रदेश की सरकार ने केन्द्र सरकार को एक चिट्ठी लिखी थी। वर्ष 2013 में कोल समाज की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों पर दोबारा अध्ययन हुआ, विचार हुआ और 2014 में फिर चिट्ठी लिखी गई। जब सरकार आपको प्रस्ताव भेजती है, आपको कई राज्यों से तमाम प्रस्ताव भेजे गये, यहाँ सांसदों ने कई जातियों के विषय उठाये हैं, मैं चाहता हूँ कि मंत्री जी, आप थोड़ा सा बड़ा दिल करके,

हौसले के साथ फैसला लें और एक बड़ा मसौदा तैयार करें, जिस पर हम लोग सही रूप से अपनी बात रख पाएं। हमारे वरिष्ठ सांसदों ने बात रखी कि आज तो हमें पता ही नहीं है कि स्थिति क्या है। चार बच्चे हैं और हम तीन को भोजन देकर संतृष्ट हैं। जब तक हम आकलन नहीं करेंगे, हमने आँखों पर जो पट्टी बाँधी है, उसे नहीं उतारेंगे और देखेंगे नहीं कि क्या स्थिति है -- जब सरकार से पूछो कि कितने किसानों ने आत्महत्या की है, तो सरकार कहती है कि डेटा नहीं है। सदन में अनएम्प्लॉयमेंट पर सवाल होता है, तो सरकार कहती है कि डेटा नहीं है। किसान मोर्चे पर जो किसान शहीद हो गये, उनका कोई डेटा, कोई जानकारी सरकार के पास नहीं है। कम-से-कम इस मसौदे पर जो जानकारी आप इकट्ठा कर सकते हैं, उसे तैयार कीजिए। महोदय, मैं आज सदन में जाति गणना के समर्थन में खड़ा हूँ। मैं इस अवसर पर बहुत मजबूती के साथ यह कहना चाहता हूँ कि जब तक हम गिनती नहीं करेंगे, तब तक हम किस आधार पर फैसले ले पाएँगे? बाकी, जैसा मैंने कहा कि यह बिल बहुत सरल है, लेकिन यह ऊँट के मूँह में जीरा है। वास्तविक स्थिति यह है कि आदिवासी और वंचित समाज के लोग, जो आज भी मुख्यधारा में नहीं हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि जब हम लोग चुनाव लड़ने जाते हैं तो उनके लिए मीठी-मीठी बातें करते हैं, उनको गृड दिखाते हैं और जब हम सरकार में आते हैं तो सरकारी तंत्र उनको डरा मारता है। इसलिए, उनके साथ न्याय होना चाहिए। मैं मंत्री जी को पुनः इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यह मसौदा इस सदन में रखा और हमें मौका दिया, धन्यवाद।

श्रीमती रिमलाबेन बेचारभाई बारा (गुजरात): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं इस विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। उत्तर प्रदेश के नवनिर्मित चार जिले- संत कबीर नगर, कुशी नगर, चंदौली और संत रिवदास नगर में रहने वाले गोंड समुदाय की वर्षों की जो पीड़ा थी, उनको उस पीड़ा से मुक्त करने का आज पिवत्र काम माननीय मंत्री जी कर रहे हैं। इसके साथ-साथ, इन जिलों में रहने वाले धूरिया, नायक, ओझा, पथारी और राजगोंड समुदाय के लोगों को भी अनुसूचित जनजातियों की सूची में रखने का प्रावधान इस बिल में किया गया है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ।

माननीय उपसभाध्यक्ष श्री, मैं भी ट्राइबल हूँ और दूर-दराज के गाँव से आती हूँ। मैं इस सदन में यह कहना चाहती हूँ कि जो ट्राइबल लोग हैं, वे ज्यादातर गाँवों और शहरों से दूर जंगलों और दुर्गम पहाड़ों में रहते हैं और वे वर्षों से अनेक पीड़ाएँ झेल रहे हैं। लेकिन, ट्राइबल की समस्या और पीड़ा के अंत की शुरुआत का श्रीगणेश स्वर्गीय अटल जी की सरकार के आने के बाद से हुआ। उनके लिए पुरानी सरकारों ने कोई काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने ट्राइबल को मात्र यूज किया। लेकिन, आज मैं यह कहना चाहती हूँ कि जब स्वर्गीय अटल जी की सरकार आई, तब ट्राइबल लोगों को एक नया मंत्रालय मिला, उनको अपना एक मंत्री मिला, उनको बजट मिला और तब से विकास की बरसात शुरू हुई। आज मैं गर्व से कहूँगी कि जब 2014 में हमारे लोकप्रिय मोदी जी की सरकार आई, तब विकास की बरसात की शुरुआत हुई। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ट्राइबल लोग दूर-दराज में रहते हैं और वे अनेक समस्याओं से पीड़ित हैं। उनके लिए मोदी जी और अर्जुन मुंडा जी की सरकार ने जो योजनाएँ बनाईं, वे उन लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाईं। आज उन योजनाओं पर अमल हो रहा है और आज विकास के माध्यम से ट्राइबल लोगों का कायापलट हो रहा है, यानी आज ट्राइबल समाज में विकास का सूर्योदय हो रहा है।

महोदय, मैं इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहती हूँ कि भगवान बिरसा मुंडा जैसे हमारे कई आदिवासी क्रांतिवीर हुए हैं, लेकिन पुरानी सरकारों ने हमारे आदिवासी क्रांतिवीरों की गणना नहीं की, बल्कि उन लोगों को एक कोने में धकेल दिया गया, लेकिन जब हमारे मोदी जी की सरकार आई, तो उसने हमारे क्रांतिवीर आदिवासी समाजों को, उनके गौरव को हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अमर करने का काम किया। इतना ही नहीं, पहले ज्यादातर आदिवासी समूदाय उपेक्षित होते थे। तब उनके बच्चों का क्या होता था, उनके माता-पिता का क्या होता था, उनके रोज़गार का क्या होता था, इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। इन सब समस्याओं का समाधान करने का काम हमारे मोदी जी की सरकार ने किया। इतना ही नहीं, ट्राइबल एरियाज़ में ऐसे कई स्थान हैं, जो हिस्टॉरिकल प्लेसेज़ हैं। मोदी जी ने उनको डेवलप किया, उनको डेवलप करके दुनिया के समक्ष रखा, फिर वहाँ टूरिज्म को डेवलप करके आदिवासी समुदाय के हाथों में रोज़गार देने का काम किया। इसलिए मैं यह कहना चाहती हूं कि आज तक आदिवासी समुदाय की जो भी समस्याएं थीं या जो समस्याएं हैं, आज हमारी सरकार उन समस्याओं का उकेल ला रही है। मैं इस बिल का स्वागत करते हुए माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं, यहां कई माननीय सदस्यों ने बताया कि उनके स्टेट में अमुक प्रश्न बाकी है, उनके समुदाय का अमुक काम बाकी है, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि पूरे देश के राज्यों की अनुसूचित जनजातियों की जो समस्याएं हैं, उनकी जो मांगें हैं, उनका त्वरित न्यायिक उकेल लाया जाए और उन लोगों को न्यायिक लाभ भी दिया जाए। मैं इस बिल का स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं, धन्यवाद।

SHRI G.K. VASAN (Tamil Nadu): Sir, I stand here to welcome this Bill. The Gond Community in Uttar Pradesh has its own population status when Census was taken in 2011 itself. It is in the merit to take its right and to get the privilege of the State and Central Government Schemes. At the same time, it is to be noted that there are a lot of other communities which are on merit not only in Uttar Pradesh but also in many States in our country and are in pending to get the status which has to be looked by the hon. Minister.

The process to include tribes in the ST list begins with the recommendation from the respective State Governments. In that case, the Tamil Nadu Government had recommended, the previous Government had recommended and the Opposition parties, today, are together so that the Union Government has approved the proposal of the Ministry of Tribal Affairs for the inclusion of Narikoravan along with the Kurivikkaran Community in respect of the State of Tamil Nadu through the introduction of the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Third Amendment) Bill, 2022 in Parliament to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950. I only request the Government and the hon. Minister of Tribal Affairs that this Bill is a very important Bill. The Narikoravan Community is waiting for a long time and they are on

merit. They are very poor. They have to be uplifted. So, the Central Government has to bring this Bill in this Session positively and give them justice.

Sir, to conclude, I would also like to say that communities like Valmiki, Boyars, Badugas from Ooty and Kurubas are all in the pending list which have the status to get the rights from the State and the Central Government and to prosper their lives in the free India.

I, therefore, request the Central Government to keep this in mind and see that these communities are also to be brought to the mainstream by the Central Government. Thank you, Sir.

श्री बृजलाल (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार द्वारा प्रस्तुत संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022 के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। महोदय, इस संशोधन से उत्तर प्रदेश के चार जिलों संत कबीर नगर, कुशी नगर, चंदौली और संत रविदास नगर के जिलों में रहने वाले गोंड, धूरिया, नायक, ओझा, पथारी और राजगोंड समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल होने का मौका मिला है।

महोदय, मैं सबसे पहले माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए बड़े पैमाने पर पहल की गई है। महोदय, 1989 में एक एक्ट पास हुआ था -- The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, उसमें कुछ अत्याचार की धाराएं शामिल की गई थीं। जो एससी/एसटी एक्ट में आते थे और पनिशमेंट मिलती थी। उसके बाद जो उत्पीडित व्यक्ति होते हैं, उनकी आर्थिक सहायता के लिए उस समय की सरकार को छह बरस लग गए और 1995 में, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Rules बना और उसमें आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया। उस प्रावधान में आर्थिक सहायता कम मिलती थी। उसमें पहले मुकदमा दायर होता था, उसके बाद चार्जशीट दाखिल होती थी और इन्वेस्टिगेशन के बाद पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक सहायता मिलती थी और वह आर्थिक सहायता भी बहुत कम होती थी। सर, 2014 में माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आई और सितम्बर 2015 में कार्रवाई शुरू की गई और एससी/एसटी एक्ट 1985 में व्यापक परिवर्तन किए गए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 1989, 1.1.2016 को लागू हुआ और ऐसी तमाम धाराएं उसमें शामिल की गईं, जिनकी पहले किसी सरकार ने चिंता नहीं की थी। मैं यू.पी. में एससी/एसटी कमीशन का चेयरमैन रहा हूं, इसलिए मुझे इस बारे में काफी जानकारी है। मैं बताना चाहता हूं कि माननीय नरेन्द्र मोदी जी के कार्यकाल में क्या-क्या हुआ? कुछ धाराएं ऐसी हैं, जो शामिल की गईं। पहले केवल 22 अपराध शामिल थे, लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में 25 और शामिल किए गए और अब एससी/एसटी एक्ट में 47 किस्म के अपराध शामिल हैं। मान्यवर, जूतों की माला पहनाना, नग्न या अर्धनग्न घुमाना-यह एक्ट में कहीं परिवर्तित नहीं था, यह मोदी जी के कार्यकाल में लागू हुआ। बलपूर्वक उसकी मूंछ मुंडा देना, यह कहीं नहीं था, यह शामिल हुआ। दक्षिण भारत में देवदासी एक प्रथा थी। अनुसूचित जाति की स्त्री या लड़की जिदंगी भर देवदासी बनी रहती थी, उसका शोषण होता

था। उपसभाध्यक्ष महोदय, मोदी जी ने एससी/एसटी एक्ट में देवदासी प्रथा को प्रतिबंधित किया। एक बात यह थी कि अनुसूचित जाति या ट्राइबल को वोट नहीं देने देना। कुछ सीटें रिज़र्व होती हैं और उन पर एससी/एसटी ही खडा हो सकता है, लेकिन जो दबंग लोग होते थे, वे उसको नॉमिनेशन फाइल नहीं करने देते थे। वे अपने घर के नौकर और चरवाहे के नाम से नॉमिनेशन फाइल करवाकर उसके नाम पर खुद उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करते थे। माननीय मोदी जी इसके संशोधन में इसे लाए और इसमें मतदान करने, निर्देशन और नॉमिनेशन फाइल करने पर रोकने वाले को एससी/एसटी एक्ट के जूर्म में लाया गया। महोदय, हमारी पंचायत में तमाम प्रधान बन जाते हैं, नगर-निकायों में बन जाते हैं, लेकिन वहां का जो दबंग आदमी होता है, वह उन पर प्रेशर डालता है कि तुम वही करोगे, जो मैं कहूंगा। माननीय मोदी जी ने एससी/एसटी एक्ट में इसको अपराध घोषित किया कि किसी पदाधिकारी को, जो पंचायत सदस्य है, नगर-निगम में है, अगर उसको काम करने से रोका जाता है, तो यह एससी/एसटी एक्ट का जूर्म है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं। दलित संत, बाबा साहेब के अपमान में सितंबर 2016 में गाज़ियाबाद में एक नेता ने कहा था कि ये मूर्तियां जो उंगली उठाए खडी हैं, ये कहती हैं कि मैं जिस प्लॉट में हूं वह भी मेरा है और सामने का प्लॉट भी मेरा है। बाबा साहेब को भू-माफिया कहा था। सर, मोदी जी ने इस एक्ट में शामिल किया कि अति श्रद्धा से माने जाने वाले किसी दिवंगत व्यक्ति का शब्दों द्वारा या किसी अन्य साधन द्वारा अनादर करना। उस नेता के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ था। यह काम मोदी जी ने किया है। अनुसूचित जातियों की स्त्रियों को उनकी मर्जी के बिना टच करना भी अपराध में शामिल किया गया। इस तरह से तमाम अपराध हैं। महोदय, समय कम है, मैं बताना चाहता हूं कि एक और अपराध होता था। मैं एक पुलिस अधिकारी रहा हूं, इसलिए मैंने उस समस्या को देखा कि यदि कोई दलित घोड़े पर बारात निकालता था, तो उसको निकालने नहीं दी जाती थी। ...(समय की घंटी)... एक समय आगरा में दंगा हुआ था। ...(व्यवधान)...

प्रो. मनोज कुमार झा: सर, आज भी होता है। ...(व्यवधान)... अभी हुआ है। ...(व्यवधान)...

श्री वृजलाल: महोदय, यह सब मोदी सरकार अपराध की श्रेणी में लाई है और उसको दूर किया है। महोदय, मुझे दो मिनट का समय और दीजिए। एक एक्ट में जो किसी ने नहीं किया, वह माननीय मोदी जी ने किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया कि अगर किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की हत्या होती है, तो उसके लिए आर्थिक सहायता सवा आठ लाख रुपये की है। चार लाख साढ़े बारह हज़ार की राशि एफआईआर पर और चार लाख साढ़े बारह हज़ार की राशि चार्जशीट पर - सवा आठ लाख एक मुश्त राशि की व्यवस्था की। महोदय, इतना ही नहीं, अगर वह घर का कमाऊ सदस्य है, ब्रेड विनर है, तो उसकी विडो को, उसके परिवार को, उसके बच्चों को डीयरनेंस अलाउंस के साथ पांच हज़ार रुपये पेंशन की व्यवस्था की। मैं योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में इसको लागू किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं ...(समय की घंटी)... तमाम अत्याचार की बातें अपनी स्टेट में जाकर देख लें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 80 परसेंट स्टेट गवर्नमेंट्स इसका पालन नहीं करती हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय): अब आप समाप्त कीजिए।

श्री बृजलाल: महोदय, केवल आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि इसके साथ उसके बच्चों को ग्रेजुएशन तक फ्री एजुकेशन, मकान नहीं है, तो मकान और घर के तीन महीने के खर्च की व्यवस्था आदि जो कुछ भी किया है, वह माननीय मोदी जी द्वारा किया गया है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय) : ठीक है, धन्यवाद बृजलाल जी।

श्री बृजलाल: दलितों के लिए जो सबसे हितैषी सरकार रही है, वह माननीय मोदी जी की सरकार रही है। मैं खुद अनुसूचित जाति का हूं। अब जहां तक बिल की बात है...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय) : आप आठ मिनट बोल चुके हैं।

श्री बृजलाल: उत्तर प्रदेश में जहां ट्राइबल ज्यादा हैं - चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र। मेरा सौभाग्य रहा है कि जब मैं प्रदेश का एडीजी और स्पेशल डीजी, लॉ एंड ऑर्डर था, तो उनके बीच में तीन महीने में दो दिन बिताता था। महोदय, वहां पर जो जातियां हैं, उनको यह सहायता मिल रही है, लेकिन कुछ जातियां ऐसी हैं, जो छूट गई थीं, गोंड, राजगोंड छूट गई थीं, लेकिन कुछ जातियां ऐसी हैं...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय): धन्यवाद, बृजलाल जी। श्री सकलदीप राजभर जी, आप बोलिए।

श्री बृजलाल: गोंड और खरवार के सर्टिफिकेट ले रही हैं। ...(व्यवधान)... उसको भी रोकना होगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय): श्री सकलदीप जी, आप बोलिए। मैंने उनका का नाम लिया है, बृजलाल जी, आप बैठ जाइए।

श्री बृजलाल: सर, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस बिल का सपोर्ट करता हूं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि फर्जी तौर पर जो अनुसूचित जाति और जनजाति का फायदा ले रहे हैं, उनको भी रोकना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय): धन्यवाद, बृजलाल जी। श्री सकलदीप राजभर जी, आप बोलिए।

श्री सकलदीप राजभर (उत्तर प्रदेश): महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर दिया। हमारी सरकार जो संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 का संशोधन करने वाले विधेयक को लेकर आई है। मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, इस विधेयक का नाम है - संविधान (अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022. मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के चंदौली, कुशी नगर, संत कबीर नगर और संत रविदास नगर जिलों के गोंड समुदाय को पहले अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया था, हालांकि अब केंद्र सरकार ने इस संशोधन बिल के तहत इन्हीं चार जिलों के गोंड समुदाय को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में डालने का प्रस्ताव किया है। यह बिल लोक सभा में पेश किया गया था। इसे लोक सभा से पारित कर दिया गया था और अब यह राज्य सभा में आया है।

महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार की काफी समय से मांग थी कि नए जिलों - संत कबीर नगर, कुशी नगर, चंदौली और संत रविदास नगर के गोंड समुदाय को अनुसूचित जाति की श्रेणी से हटाया जाना चाहिए और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी मांग रखी थी कि इन जिलों के गोंड, धूरिया, नायक, ओझा, पथारी और राजगोंड समुदायों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में डाला जाना चाहिए।

5.00 P.M.

अब उत्तर प्रदेश सरकार की इसी मांग को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार राज्य सभा में इस विधेयक को लेकर आई है। उपसभाध्यक्ष महोदय, ये सभी समुदाय सदियों से उपेक्षा का शिकार रहे हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि अब हमारी सरकार इस कल्याणकारी विधेयक को लेकर आई है, जिसका भरपूर लाभ इन समुदायों को अवश्य मिलेगा।

उपसंभाध्यक्ष महोदय, मैं यहां बताना चाहता हूं कि हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में अनुसूचित जनजातियों के विकास एवं कल्याण का कार्य बड़ी तेजी से और प्रतिबद्धता के साथ किया जा रहा है और इन्हीं प्रयासों के तहत बहुत सी विसंगतियों को भी दूर किया जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मना रहा है। हमारी सरकार का यही संकल्प है कि जब देश 100 साल पूरे करे, तो देश के आदिवासी मुख्यधारा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर उभरें। वे देश के विकास में अपना भरपूर योगदान दें और सभी क्षेत्रों में आगे बढें।

हमारा अनुसूचित जनजाति समाज हमेशा से ही पिछड़ा रहा है, शिक्षा और सुविधाओं से दूर रहा है, लेकिन जब से आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आई है, इस समाज पर ध्यान दिया जाने लगा है और इस समाज को देश की मुख्यधारा में लाने का काम हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधान मंत्री जी का और माननीय मंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने "सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास" का जो नारा दिया है, यह विधेयक उसको पूरी तरह से सार्थक करता है। इसके अलावा मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि उक्त चार जिलों के अलावा भी उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में उक्त जातियां हैं तथा इस स्तर की कई जातियां भर, राजभर, तुरहा, तुरैया, केवट, बिन्द, मल्लाह, पटवा, कोल, धनगर आदि जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, ताकि इनके बच्चों के भविष्य उज्ज्वल हो सकें और इनके भी अच्छे दिन आ सकें।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय) : धन्यवाद। श्री विनय दीनू तेंदुलकर।

श्री विनय दीनू तंंदुलकर (गोवा): उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। इसके साथ ही मैं अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का भी धन्यवाद करता हूं। महोदय, यह बिल उत्तर प्रदेश के लिए है और बहुत सोच-समझकर लाया हुआ बिल है। महोदय, 22 साल पहले गोवा में गोवा के शेड्यूल्ड ट्राइब्स बंधुओं ने आंदोलन किया था कि उनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स का स्टेटस मिले। वर्ष 2003 में स्वर्गवासी मनोहर परिकर जी गोवा के मुख्य मंत्री थे - आज उनकी जयंती का दिन है, जन्म दिन है, उन्होंने शेड्यूल्ड ट्राइब्स को सम्मान दिया था। उस समय केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और तब गोवा में गावड़ा, कुन्बी, वेलिप, धनगर के लिए आंदोलन चल रहा था। उनके समय में उनको ट्राइब्स का स्टेटस मिल गया, लेकिन उसमें से एक धनगर कम्युनिटी बची हुई है, वह एक टेक्निकल वर्ड की वजह से बच गई और उनको ट्राइब्स का स्टेटस नहीं मिल पाया। पिछले बहुत सालों से धनगर समाज गोवा में - जैसे महाराष्ट्र के बारे में हमारी बहन ने अभी उल्लेख किया, वैसे ही गोवा में धनगर समाज है, जो पहाड़ पर रहता है। उस धनगर समाज को ट्राइब्स का स्टेटस मिलना बहुत जरूरी है। पिछले 20 सालों से वे आंदोलन कर रहे हैं। मैं सरकार से और माननीय मंत्री जी से विनती करता हूं कि गोवा और महाराष्ट्र के धनगर समाज को न्याय मिले, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बिप्नव कुमार देव (त्रिपुरा): 'जतना खुलुम्का', सभी को नमस्कार। उपसभाध्यक्ष जी, मैंने अभी जो शब्द बोला 'जतना खुलुम्का', उसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ के ट्राइबल लोग इस भाषा में बात करते हैं, इसीलिए मैंने उसी से बोलना शुरू किया और आपको नमस्कार किया। निश्चित तौर पर यह जो बिल लाया गया है, जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, मैं इस बिल के अमेंडमेंट का समर्थन करता हूं। वैसे मैंने इस बिल पर बोलना नहीं था, मैं ऐसा चाह रहा था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो सभी सांसद हैं, वे ही इस बिल पर बोलें, किंतु मैंने देखा कि नॉर्थ-ईस्ट में एक बड़ी मात्रा में एस.टी. लोग रहते हैं। हमारी आठ स्टेट्स हैं, लेकिन उनमें से कोई भी प्रतिनिधि बोल नहीं रहा था, तब मैंने माननीय उपसभापति जी से अनुरोध किया कि मैं इस बिल पर बोलना चाहता हूं। पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में, एनडीए की सरकार आने के बाद उत्तर पूर्वांचल के जो आठ राज्य हैं, उन आठ राज्यों में से चार मुख्य मंत्री एस.टी. वर्ग के हैं। राज्य छोटा हो सकता है, जैसे हमारे त्रिपुरा राज्य में महोदय, मैं त्रिपुरा राज्य से आता हूं, वहाँ 32 परसेंट एस.टी. वर्ग के लोग हैं, 18 परसेंट एस.सी. वर्ग के लोग हैं, मतलब 50 परसेंट हो गया। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एस.सी./एस.टी. वर्ग को राजनीतिक तौर पर सिद्धि तक पहुँचाना माननीय प्रधान मंत्री जी का लक्ष्य है। आईन जहाँ

बनता है, असेम्बली हो, लोक सभा और राज्य सभा हो, इन तीनों में एस.सी./एस.टी. वर्ग के ज्यादातर लोग आएं और यह प्रमाणित हो - ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और दल ने किया है, जैसे त्रिपुरा असेम्बली में एस.सी. वर्ग के लिए 10 सीट्स आरक्षित हैं। जब 2018 में इलेक्शन हुए थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने एस.सी. वर्ग के लिए जो 10 सीट्स संरक्षित हैं, उनमें तो प्रतिनिधित्व दिया ही है, इसके साथ ही दो जनरल सीट्स से भी एस.सी. कैंडिडेट्स दिए और आज दोनों जीतकर विधायक बने हुए हैं। इनमें से एक को तो एस.सी. कॉरपोरेशन का चेयरमैन भी बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पार्टी बोलती नहीं है, बल्कि प्रमाणित करती है। आप लोग माननीय प्रधान मंत्री जी को देखिएगा कि उन्होंने हमारी जनजातियों का, हमारी मूल अनुसूचित जनजाति वर्ग का सम्मान किया है। महोदय, उन्हें क्या चाहिए? उन्हें प्रतिष्ठा चाहिए, सम्मान और आदर चाहिए। मैं गर्व करता हूं कि मैं नॉर्थ-ईस्ट से आता हूं। हमारे त्रिपुरा राज्य में 20 ट्राइब्स हैं और सब ट्राइब्स भी बड़ी मात्रा में हैं। पूरे नॉर्थ-ईस्ट में बड़ी मात्रा में एस.सी. और एस.टी. जाति के लोग हैं। आप माननीय प्रधान मंत्री जी को देखिएगा कि वे जब भी अपना परिधान पहनते हैं, हमारे नॉर्थ-ईस्ट के हर एस.टी. व्यक्ति के गले में जो रेशा रहता है, जो कि हमारे एस.टी. समाज के सम्मान का परिधान होता है, वे उसको समय-समय पर पहनते हैं और जब हमारा एक एस.टी. भाई जंगल से यह देखता है कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने हमारा परिधान पहना हुआ है, तो वह एक सम्मानबोध महसूस करता है और मानता है कि मैं भारतवासी हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं। यह दिशा माननीय प्रधान मंत्री जी ने दी है। नॉर्थ-ईस्ट में लंबे समय से कांग्रेस और उसके सपोर्ट में सरकार थी, लेकिन नॉर्थ-ईस्ट को क्या माना जाता था? मैंने अभी बोला कि चार मुख्य मंत्री तो एस.टी. ही हैं, लेकिन ऐसा माना जाता था कि नॉर्थ-ईस्ट मतलब वहाँ पर इन्सर्जेंसी है, वहाँ उग्रवादी हैं, वहाँ सब अत्याचारी रहते हैं - इस तरीके से बोलकर एस.टी. के व्यक्ति का अपमान किया जाता था। आज माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतत्व में सरकार आने के बाद 42 सालों में जो नागालैंड में प्रॉब्लम थी, उसका समाधान किया गया है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने इसका समाधान किया है। आज नॉर्थ-ईस्ट में किसी भी जगह पर एस.टी. के व्यक्ति को, किसी भी हालत में उग्रवादी व एक्सट्रिमिस्ट के नाम से नहीं जाना जाता है, बल्कि भारतवासी के नाम से जाना जाता है। माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में नॉर्थ-ईस्ट से एक्सट्रिमिस्ट और उग्रवादी नाम धो-माँजकर हमेशा के लिए चला गया है। आज एस.सी./एस.टी. समाज के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, वह प्रमाणित है। काम करना और काम को प्रमाणित करना -यह माननीय प्रधान मंत्री जी ने किया है। मैंने स्वाभाविक तौर पर इस बिल को देखा है, जो उत्तर प्रदेश के चार जिलों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को जोड़ने के संबंध में है। जब मैंने देखा कि हाउस में बहुत सारे लोग माननीय प्रधान मंत्री जी के, भारतीय जनता पार्टी के एट्रोसिटीज़ बिल की आलोचना, समालोचना कर रहे थे, तो मुझे उठकर बोलना पड़ा, क्योंकि यह देखना पड़ेगा कि प्रमाणित कौन है? आज देश में सबसे ज्यादा एस.सी. वर्ग के सांसद किसके पास हैं, एस.टी. वर्ग के सांसद किसके पास हैं, कॉरपोरेटर्स किसके पास हैं? मुख्य मंत्री किसके पास हैं, भारतीय जनता पार्टी के, नरेन्द्र भाई मोदी के पास हैं। आज सरकार में जो मंत्री हैं, कोटे से एक एस.टी. है तो एक ही आएगा, एक एम.ओ.एस. है तो एक ही आएगा। आज एस.टी. का कोई कोटा नहीं है, कितने मंत्री हैं, हो सकता है कि हम सब लोग नहीं जानते हों। एस.सी./एस.टी. कोटे से आजकल मंत्री नहीं बनता, वह इसके बाहर होता है। एस.सी./एस.टी. कोटे से माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में मंत्री नहीं बनाया जाता है, आज एस.सी./एस.टी. कोटे से बहुत ज्यादा मंत्री बने हुए हैं। यह मोदी जी ने करके दिखाया है, इसलिए मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं।

साथ-ही-साथ माननीय प्रधान मंत्री जी की जो प्रामाणिकता है, इसको और भी नीचे तक लेकर हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, यही मैं आशा करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Hon. Members, hon. Minister will reply to the debate tomorrow. Therefore, we shall, now, take up the Special Mentions. Shri Ghanshyam Tiwariji.

SPECIAL MENTIONS

Need for stringent measures to prevent the misuse of antibiotics

श्री घनश्याम तिवाड़ी (राजस्थान): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ दशकों में बैक्टीरियल (जीवाणु) संक्रमण से होने वाले रोगों में ज्यादा वृद्धि हुई है। एंटीबायोटिक दवाइयों के अंधाधुंध प्रयोग की वजह से जीवाणुओं ने अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा लिया है। इन पर अब एंटीबायोटिक दवाइयों का असर ही नहीं हो रहा है और ये 'सुपरबग' बन गए हैं।

भारत में एंटीबायोटिक दवाइयों का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके नतीजे बेहद गंभीर हैं। भारतीय चिकित्सा वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद् (आईसीएमआर) के ताजा अध्ययन के अनुसार भारत के हर तीन स्वस्थ वयस्कों में से दो का शरीर एंटीबायोटिक रेज़िस्टेंट हो चुका है, यानी उन पर एंटीबायोटिक दवाएं बेअसर हैं। यदि स्थिति पर नियंत्रण नहीं हो पाया, तब हर साल लगभग एक करोड़ लोग एंटीबायोटिक रेज़िस्टेंस की वजह से काल-कवलित होंगे और 2.4 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीने के लिए मज़बूर होंगे।

अतः आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि एंटीबायोटिक दवाइयों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा कठोर कदम उठाए जाएं तथा डब्लू.एच.ओ. के दिशा-निर्देशों का गंभीरता से पालन किया जाए। साथ ही वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा दिया जाए।

श्री धनंजय भीमराव महादिक (महाराष्ट्र) : महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये विषय के साथ स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

DR. SANTANU SEN (West Bengal): Sir, I associate myself with the submission made by the hon. Member.